मुख्य बाते

धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाने वाले उपक्रमों के निर्धारण अभिलेखों की यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए जांच की गई थी कि अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने, अधिनियम के प्रावधानों के साथ विनिर्दिष्ट उपक्रमों द्वारा अनुपालन की डिग्री का मूल्यांकन करने, निर्धारण में त्रुटियों के कारण राजस्व अथवा अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं की हानि परिमात्रित करने, इस धारा से संबंधित प्रशासन, कानून अथवा नीति में त्रुटियों, यदि कोई हों, को उजागर करने के लिए प्रणालियां और पद्धतियां पर्याप्त हैं तथा विद्यमान हैं।

(पैराग्राफ 2.2)

समीक्षा की अवधि के दौरान चुने हुए 4,372 मामलों की लेखापरीक्षा से अनियमितताओं के 1,105 मामलों का पता चला जिनमें 1,510.18 करोड़ रू. का राजस्व प्रभाव शामिल था।

(पैराग्राफ 2.6)

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में, वीआईपी II इकाई को 1,591.51 करोड़ रू. की कटौती अनुमत की गई थी हालांकि यह इकाई एक नया औद्योगिक उपक्रम नहीं था। इस प्रकार, अनुमत कटौती अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप 575.48 करोड़ रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 2.7.1.2)

विपणन मार्जिन के संबंध में कटौतियां अनुमत करने में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के मामलों में विभाग के असंगत स्टैण्ड के कारण आईओसीएल से 535.14 करोड़ रू. का राजस्व जोखिम में पड़ गया था इसके अतिरिक्त राजस्व हानियों की संभावना हुई जो विभाग को न केवल इन दो शोधनशालाओं में, बल्कि देश की अन्य शोधनशालाओं में भी हो सकती हैं।

(पैराग्राफ 2.7.2.12)

लेखापरीक्षा ने ऐसे 87 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किए गए क्रियाकलाप निर्माण के क्रियाकलाप नहीं थे अथवा अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मदों से थे। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका राजस्व प्रभाव 22.94 करोड़ रू. था।

(पैराग्राफ 2.8.2.2)

लेखापरीक्षा ने ऐसे 125 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि उत्पादन क्रियाकलाप, अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अन्दर शुरू नहीं हुए थे। इसके परिणामस्वरूप कर का अवनिर्धारण हुआ जिसका राजस्व प्रभाव 34.51 करोड़ रू. था।

(पैराग्राफ 2.8.3.2)

लेखापरीक्षा ने ऐसे 251 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि आय ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका राजस्व प्रभाव 47.72 करोड़ रू. था।

(पैराग्राफ 2.8.5.2)

आवास परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 99 मामलों में, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी, हालांकि निर्धारिती विभिन्न कारणों से कटौती का दावा करने के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका राजस्व प्रभाव 55.43 करोड़ रूपए था।

(पैराग्राफ 2.9.2)

लेखापरीक्षा ने ऐसे 23 मामले देखे जिनमें अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की सही दरें अपनाने में त्रुटियां थी। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका राजस्व प्रभाव 104.71 करोड़ रू. था।

(पैराग्राफ 2.13.2)

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि:

- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक औद्योगिक उपक्रम की हैसियत का कटौती अनुमत करने से पूर्व पता लगा लिया जाता है।
- मंत्रालय को आईओसीएल तथा एचपीसीएल के मामले में विपणन मार्जिन पर कटौती के संबंध में विभाग द्वारा लिए गए अलग-अलग स्टैण्ड का समाधान करना चाहिए तथा अपील के स्तर को उच्चतम स्तर तक बढ़ाना चाहिए।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में न्यायिक उद्घोषणाएं ऐसे सभी मामलों पर लागू की गई हैं।
- मंत्रालय को अनुदेश जारी करने पर भी विचार करना चाहिए कि निर्धारण अधिकारी धारा 80 आईबी के अन्तर्गत निर्धारिती की पात्रता के निर्धारण में तथा कटौती की प्रयोज्यता के लिए समयावधि के बारे में सतर्क रहें।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए कि आवास क्षेत्र के संबंध में कटौती लेने के लिए निर्धारित शर्तों का इस संबंध में कटौती अनुमत करने से पूर्व पालन किया जाता है।
- मंत्रालय को अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत करने से पूर्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना नियंत्रण तंत्र मज़बूत करना चाहिए।

आधारभूत विकास उपक्रमों के अतिरिक्त कुछ उपक्रमों से लाभ एवं अभिलाभ की कटौतियों (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती) पर समीक्षा

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में मुख्यतः कल्याण उपाय प्रारम्भ करने, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उपाय आशोधित करने अथवा प्रारम्भ करने, अर्थव्यवस्था के कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने तथा औद्योगिक प्रगति हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन (कई वर्षों से क्रमिक वित्त अधिनियमों के माध्यम से) किया गया है। अतः अधिनियम में उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करदाताओं को कई प्रकार की छूटें, अनुमतियां, कटौतियां, छूटें/राहत तथा रियायतें प्रदान की गई हैं। ये वे कटौतियां हैं जो विशेषकर अधिनियम के अध्याय VI ए के अन्तर्गत प्रदान की गई हैं तथा उन्हें उनमें निर्धारित शर्तों की पूर्ति की शर्त पर संगत धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर सकल कुल आय पर लागू किया जाता है। इन्हें तभी प्रदान किया जा सकता है यदि हानियों, यदि कोई हों, के समंजन के पश्चात् धनात्मक आय हो।

2.1.2 1 अप्रैल 1991 से, वर्तमान धारा 80 आई में आशोधन किया गया था तथा एक नई धारा 80 आईए को शामिल किया गया था जिसे 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1995 की अवधि के दौरान पोत, होटल तथा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, उत्पादन, प्रचालन शुरू करने वाले नए औद्योगिक उपक्रमों पर लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2000 से, धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती आधारभूत विकास में कार्यरत इकाईयों तक ही सीमित की गई थी तथा आधारभूत विकास के अतिरिक्त किसी कारबार में कार्यरत निर्धारितियों को कटौती का दावा करने के समर्थ बनाने के लिए एक पृथक धारा 80 आईबी शुरू की गई थी।

2.2 समीक्षा का उद्देश्य

धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाने वाले उपक्रमों के निर्धारण अभिलेखों की निम्नलिखित के लिए जांच की गई थीः

- यह आश्वासन प्राप्त करना कि प्रणालियां एवं क्रियाविधियां पर्याप्त हैं तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान हैं।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट उपक्रमों द्वारा अनुपालन की श्रेणी का मूल्यांकन।
- निर्धारण में गलतियों के कारण राजस्व की हानि अथवा अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को परिमात्रित करना।
- इस भाग से संबंधित प्रशासन, कानून अथवा नीति में कमी अथवा त्रुटि, यदि कोई हो, को उजागर करना।

2.3 कानून तथा क्रियाविधि

आधारभूत विकास उपक्रमों के अतिरिक्त कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में कटौतियां [धारा 80-आईबी]

2.3.1 जिन उपक्रमों/क्षेत्रों को धारा 80 आईबी के प्रावधान लागू होतें हैं, वे निम्नलिखित है:

i औद्योगिक उपक्रम [80आईबी (3)]
ii औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्य में औद्योगिक उपक्रम [80 आईबी (4)]
iii अधिसूचित किए गए औद्योगिक रूप से पिछड़े ज़िलों 80 आईबी (5) में स्थित औद्योगिक उपक्रम
iv एक भारतीय कम्पनी द्वारा पोत का स्वामित्व एवं प्रचालन [80आईबी(6)]
v होटल उद्योग [80आईबी (7)]
vi बहुविध थियेटर [80आईबी (7ए)]
vii सम्मेलन केन्द्र [80 आईबी(7बी)]
viii वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विकास करने वाली कम्पनी [80आईबी(8)]
ix खनिज तेल का उत्पादन अथवा परिष्करण [80आईबी (9)]
x आवास परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण [80आईबी (10)]
xi कृषि उत्पाद हेतु कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना एवं प्रचालन [80आईबी (11)]
xii खाद्यान्नों का संचालन, भण्डारण एवं परिवहन तथा फलों एवं सब्जियों का संसाधन, संरक्षण एवं संवेष्टन [80आईबी (11ए)]
xiii ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल का प्रचालन एवं अनुरक्षण [80आईबी (11 बी)

2.3.2 उन क्षेत्रों, जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान उजागर किया गया है, के संबंध में अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा नीचे की गई हैः

2.3.3 औद्योगिक उपक्रमः

धारा 80आईबी(3), 80आईबी(4), 80आईबी(5) के अन्तर्गत कटौती के लाभ का दावा करने के लिए, एक औद्योगिक उपक्रम को निम्नलिखित मौलिक शर्तों को पूरा करना चाहिएः

तालिका सं.1 : धारा 80 आईबी(3), 80 आईबी(4) तथा 80 आईबी(5) के अन्तर्गत कटौती का लाभ लेने की शर्तें

शर्त 1	यह एक नया उपक्रम होना चाहिए।
शर्त 2	इसे पुराने संयंत्र एवं मशीनरी के अन्तरण द्वारा निर्मित नहीं किया जाना चाहिए।
शर्त 3	इसे ग्यारहवीं अनुसूची में दी गई क्षेत्र मदों के अतिरिक्त अन्य मदों का विनिर्माण एवं उत्पादन करना चाहिए।
शर्त 4	निर्माण अथवा उत्पादन निर्धारित समय सीमा के अन्दर शुरू किया जाना चाहिए।

शर्त 5	उसे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने चाहिएं।
शर्त 6	उपक्रम के लेखे एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित कर लिए गए हैं, तथा लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा रिपोर्ट आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत की गई है (फार्म सं. 10 सीसीबी)।

2.3.3.1 कटौती की राशि

कटौती का दावा करने के लिए कटौती की दरें तथा अधिनियम में निर्धारित अन्य शर्तें **परिशिष्ट 8** में दी गई हैं।

2.3.4 खनिज तेल

धारा 80आईबी(9) के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाने के लिए, एक औद्योगिक उपक्रम को निम्नलिखित आधारभूत शर्तें पूरी करनी चाहिएं :

1. यह एक नया उपक्रम होना चाहिए।
2. किसी प्रयोजन हेतु पहले प्रयुक्त मशीनरी अथवा संयंत्र के अन्तरण द्वारा निर्मित नहीं किया जाना चाहिए।
3. उसे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने चाहिएं।
4. उपक्रम के लेखे एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित कर लिए गए हैं, तथा लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा रिपोर्ट आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत की गई है (फार्म सं. 10 सीसीबी)।
5. उसे वाणिज्यिक उत्पादन निम्न प्रकार से शुरू करना चाहिएः

तालिका सं. 2 : वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना

	खनिज तेल का उत्पादन शुरू करना	**खनिज तेल का परिष्करण**
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित उपक्रम	1 अप्रैल, 1997 से पूर्व	
भारत में कहीं भी स्थित उपक्रम	31 मार्च, 1997 के पश्चात्	30 सितम्बर, 1998 के पश्चात्

2.3.4.1 कटौती की राशि

खनिज तेल का उत्पादन एवं परिष्करण शुरू करने वाले उपक्रम को कटौती की राशि प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष सहित लगातार सात निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभ का सौ प्रतिशत होगी।

2.3.5 आवास परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण

आवास परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण में कार्यरत एक उपक्रम निम्नलिखित शर्तों पर धारा 80 आईबी(10) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने का पात्र होगाः

तालिका सं. 3 : धारा 80आईबी(10) के अन्तर्गत कटौती के लाभ का दावा करने के लिए शर्तें

शर्त 1	परियोजना 31 मार्च, 2007 से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए
शर्त 2	भूमि के प्लाट का आकार न्यूनतम एक एकड़ होना चाहिए।
शर्त 3	उपक्रम को 30 सितम्बर, 1998 के पश्चात् आवास परियोजना का विकास एवं निर्माण शुरू कर देना चाहिए तथा उसे निर्माण कार्य, आवास परियोजना के पहली बार अनुमोदन वाले वित्तीय वर्ष के अन्त से 4 वर्ष के अन्दर अथवा 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व, जो भी बाद में हो, पूरा कर लेना चाहिए।
शर्त 4	आवास परियोजना में शामिल दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं का निर्मित क्षेत्र, आवास परियोजना के सकल निर्मित क्षेत्र के 5 प्रतिशत अथवा 2000 वर्ग फुट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।
शर्त 5	प्रत्येक आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्र की सीमा 1000/1500 वर्ग फुट होनी चाहिए।
शर्त 6	उपक्रम के लेखे एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित कर लिए गए हैं, तथा लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा रिपोर्ट आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत की गई है (फार्म सं. 10सीसीबी)।

2.3.5.1 कटौती की राशि

आवास परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण करने वाले उपक्रम के मामले में कटौती की राशि उस आवास परियोजना से किसी निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष में व्युत्पन्न लाभ का सौ प्रतिशत होगी।

2.4 समीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा वर्गीकरण

2.4.1 धारा 80आईबी तथा अधिनियम की अन्य धाराओं के अन्तर्गत अपेक्षित समर्थित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रमाण पत्रों सहित निगम तथा गैर निगम दोनों निर्धारितियों के निर्धारण अभिलेख जांच हेतु चुने गए थे। समीक्षा 2004-05 से 2007-08 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान तथा लेखापरीक्षा की तिथि तक पूरे किए गए संक्षिप्त तथा संवीक्षा दोनों निर्धारणों पर की गई थी। समीक्षा की अवधि के दौरान कुल 4,372 मामलों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन का आधार **परिशिष्ट 9** में दिया गया है। समीक्षा में धारा 80आईबी के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाने वाले औद्योगिक उपक्रमों (निगम अथवा गैर निगम निर्धारिती) के संबंध में संवीक्षा अथवा संक्षिप्त ढंग में पूरे किए गए सभी निर्धारण शामिल किए गए थे।

2.4.2 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से निहित ड्राफ्ट समीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां महानिदेशकों/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा/प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों द्वारा संबंधित मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को जून 2008 से अगस्त 2008 की अवधि के दौरान जारी की गई थी।

2.5 आभार

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख तथा सूचना प्रदान करने में आयकर विभाग के सहयोग का आभारी है। ड्राफ्ट समीक्षा मंत्रालय को अक्तूबर 2008 में जारी की गई थी। समीक्षा के परिणामों पर चर्चा के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) के साथ दिसम्बर 2008 में एक एग्ज़िट कान्फेंस की गई थी। एग्ज़िट कान्फ्रेंस में उनके द्वारा व्यक्त विचार इस प्रतिवेदन में समुचित रूप से समाविष्ट किए गए हैं। बोर्ड ने लेखापरीक्षा सिफारिशें स्वीकार की तथा समीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों का पता लगाने के लिए सहमति दी। बोर्ड ने कहा कि मामलों के विशिष्ट उत्तर भेज दिए जाएंगे।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.1 समीक्षा की अवधि के दौरान चुने हुए 4372 मामलों की लेखापरीक्षा से आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़ (यूटी), छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 536.98 करोड़ रूपए के संभावित कर प्रभाव सहित 1,510.18 करोड़ रूपए के कर प्रभाव की अनियमितताओं के 1105 मामलों का पता चला।

2.6.2 एक करोड़ रूपए तथा अधिक के धन मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की इस प्रतिवेदन के पैराग्राफों में चर्चा की गई है अथवा उन्हें परिशिष्टों में उजागर किया गया है।

एक करोड़ रूपए से कम की अभ्युक्तियां यद्यपि पृथक रूप से उजागर नहीं की गई हैं तथापि उनका राजस्व प्रभाव इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

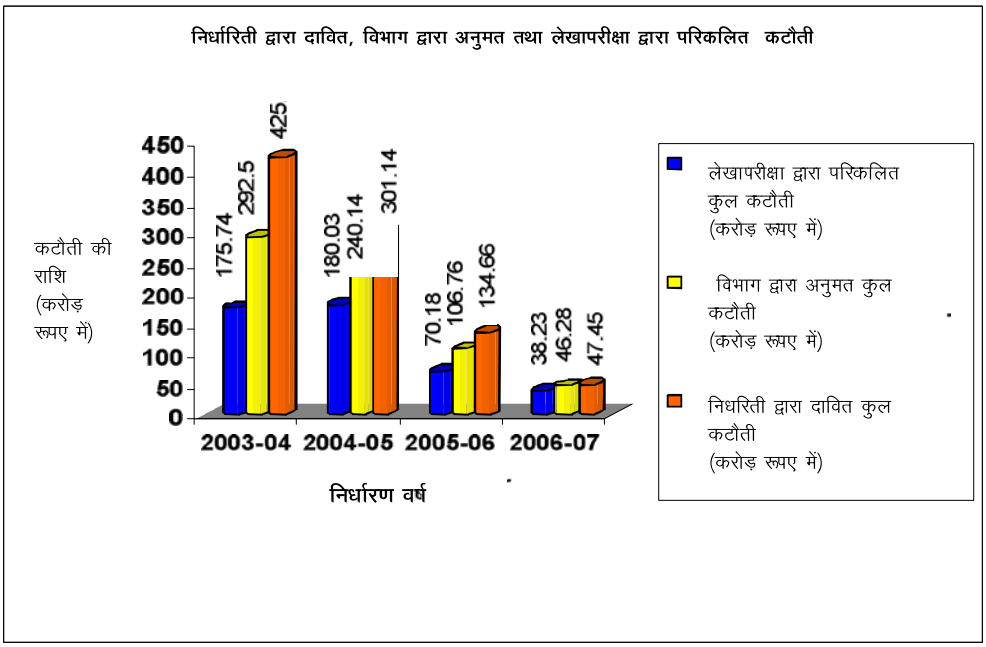
2.6.3 औद्योगिक उपक्रमों तथा आवास क्षेत्र में कटौतियों की स्थिति

2.6.3.1 लेखापरीक्षा अध्ययन से पता चला कि औद्योगिक उपक्रमों (धारा 80 आईबी [3]) तथा आवास क्षेत्र (धारा 80 आईबी [10]) में अनियमितताओं की संख्या धारा 80 आईबी के अन्तर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों से अधिक है। इसलिए, लेखापरीक्षा ने इन दो क्षेत्रों में 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारितियों द्वारा दावित, विभाग द्वारा अनुमत कटौतियों तथा लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कुल कटौती के आंकड़ों का विश्लेषण किया जिन्हें निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

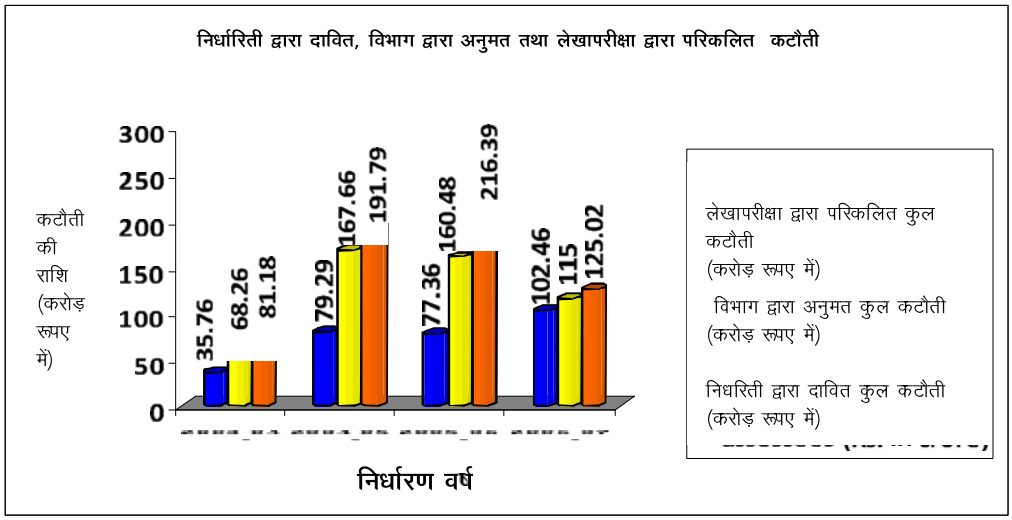
तालिका सं. 4: औद्योगिक उपक्रमों तथा आवासीय क्षेत्र में कटौतियों की स्थिति

क्षेत्र/भाग	नि.व.	लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षित मामलों की संख्या	निर्धारितियों द्वारा दावित कुल कटौती (लाख रूपए में)	विभाग द्वारा अनुमत कुल कटौती (लाख रूपए में)	लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित कुल कटौती (लाख रूपए में)	विभाग द्वारा परिवर्धन (कॉलम 4-कॉलम 5 (लाख रूपए में)	लेखापरीक्षा के अनुसार संभावित परिवर्धन (कॉलम 4-कॉलम 6) (लाख रूपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
औद्योगिक उपक्रम/ 80 आईबी (3)	2003-04	355	42,516.72	29,250.4	17,574.26	13,266.32	24,942.46
	2004-05	457	30,113.58	24,013.79	18,003.06	6,099.79	12,110.52
	2005-06	362	13,466.18	10,676.39	7,018.24	2,789.79	6,447.94
	2006-07	115	4,745.26	4,628.28	3,823.21	116.98	922.05
	जोड़	**1289**	**90,841.74**	**68,568.86**	**46,418.77**	**22,272.88**	**44,422.97**
आवास/ 80 आईबी (10)	2003-04	44	8,117.73	6,826.41	3,575.91	1,291.32	4,541.82
	2004-05	95	19,179.45	16,765.66	7,929.06	2,413.79	11,250.39
	2005-06	128	21,639.47	16,047.86	7,736.14	5,591.61	13,903.33
	2006-07	67	12,501.69	11,500.32	10,245.62	1,001.37	2,256.07
	जोड़	**334**	**61,438.34**	**51,140.25**	**29,486.73**	**10,298.09**	**31,951.61**

ग्राफ 1: औद्योगिक उपक्रम क्षेत्र में कटौती की स्थिति



ग्राफ 2: आवास क्षेत्र में कटौती की स्थिति



2.6.3.2 इस प्रकार, निर्धारितियों द्वारा दावित, विभाग द्वारा अनुमत तथा लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित कटौतियों की स्थिति दर्शाने वाले उपर्युक्त वार चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राजस्व की और उगाही की संभावना है।

2.6.4 शोधनशाला क्षेत्र में कटौतियों की स्थिति

विशाख शोधनशाला, पानीपत शोधनशाला, गुजरात शोधनशाला तथा कोच्चि शोधनशाला नामक तेल शोधनशाला वाली हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड नाम तीन तेल कम्पनियों के संबंध में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से व्यापक प्रभाव वाले मामलों का पता चला। विसाख शोधनशाला (एच.पी.सी.एल.) को कटौती अनुमत की जा रही थी हालांकि वह नयी औद्योगिक उपक्रम नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 575.48 करोड़ रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विपणन मार्जिन के संबंध में कटौती के संबंध मे आई. ओ. सी.एल. तथा एच पी सी एल के मानकों में असंगत स्टैण्ड ने आईओसीएल से 535.14 करोड़ रू. के राजस्व को जोखिम में डाल दिया। इसका प्रभाव केवल इन दो तेल कम्पनियों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका इसी तरह की सभी इकाईयों पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा।

2.6.5 निर्धारण में त्रुटियों का विश्लेषण

2.6.5.1 देखी गई त्रुटियों/अनियमितताओं के 1104[1] मामलों में से, 711 मामले संवीक्षा निर्धारण से संबंधित थे तथा 393 मामले संक्षिप्त ढंग से संसाधित किए गए थे। इस प्रकार, देखी गई 64 प्रतिशत गलतियां संवीक्षा निर्धारण से थी।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि मंत्रालय को अपना आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र मज़बूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए मुद्दों का निर्धारण कार्रवाई के दौरान पता लगाया जा सकें।

2.7 खनिज तेल का उत्पादन अथवा परिष्करण

2.7.1 औद्योगिक उपक्रमों, जो नए नहीं हैं, से कटौतियां

धारा 80आईबी(9) के अन्तर्गत शामिल, खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन अथवा परिष्करण शुरू करने वाले उपक्रम की कटौती की राशि निर्धारित शर्तों के पूरा होने की शर्त पर सात लगातार निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभ का सौ प्रतिशत होगी। अन्य के साथ-साथ शर्तों में यह भी प्रावधान है कि उपक्रम, पहले से ही विद्यमान कारबार के विखण्डन अथवा पुनर्निर्माण तथा पहले किसी प्रयोजन हेतु प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी के नए कारबार को अन्तरण द्वारा निर्मित नहीं है। तथापि, यदि अन्तरित परिसम्पत्तियों का मूल्य, कारबार में प्रयुक्त संयंत्र अथवा मशीनरी के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो शर्त पूरी कर ली मानी जाएगी।

[1] देखी गई अनियमितताओं की कुल संख्या 1105 है। तथापि, एक मामला फार्म सं. 10 सीसीबी के फार्मेट से संबंधित है जो निर्धारण कार्रवाई से संबंधित नहीं है।

"निर्मित" का अर्थ

शब्द निर्माण का अभिप्राय यह संकेत करना है कि कम्पनी की बॉडी अथवा उसका आकार पहले कारबार प्रयोजन हेतु प्रयुक्त मशीनरी तथा संयंत्र के अन्तरण के कारण नहीं है।

"कारबार का विखण्डन"

अभिव्यक्ति "पहले से विद्यमान कारबार का विखण्डन" उस मामले को दर्शाता है जहां पहले से विद्यमान कारबार की सत्यनिष्ठा खण्डित हो गई है तथा पहले से किए जा रहे कार्यों के विभिन्न भाग पृथक रूप से चलाए जा रहे हैं।

"कारबार का पुनर्निर्माण"

एक नई भौतिक रूप से पृथक इकाई का आविर्भाव होना चाहिए जो एक व्यवहार्य औद्योगिक इकाई के रूप में अपने हिसाब से विद्यमान होगी। एक औद्योगिक उपक्रम वर्तमान कारबार से निर्मित होता है यदि पुरानी इकाई के साथ भौतिक पहचान संरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त, नया औद्यौगिक उपक्रम स्वयं एक एकीकृत इकाई होनी चाहिए।

2.7.1.1 एक शोधनशाला में लेखापरीक्षा ने देखा कि धारा 80 आईबी (9) के अन्तर्गत कटौती तीन निर्धारण वर्षों में अनुमत की गई थी हालांकि कोई नया औद्योगिक उपक्रम निर्मित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका महाराष्ट्र में 575.48 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव था। मामले की नीचे चर्चा की गई है।

2.7.1.2 महाराष्ट्र, सीआईटी 1, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष[2] 2002-03, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए एक कम्पनी, **मै. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.** के निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 133.12 करोड़ रूपए, 793.88 करोड़ रूपए तथा 664.51 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः मार्च 2005, नवम्बर 2006 तथा दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरे किए गए थे। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विसाख शोधनशाला मई 1957 से परिचालन में थी तथा वीआरईपी II, क्षमता को 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से 7.5 एमएमटीपीए तक बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान विसाख शोधनशाला का एक विस्तार/पुनर्निर्माण था। विस्तारित इकाई चालू कर दी गई थी तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान उसे प्रयोग में लाया गया था तथा वाणिज्यिक उत्पादन वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान शुरू हुआ था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विस्तारित इकाई के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार किसी नई भौतिक रूप से पृथक इकाई का आविर्भाव नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, वीआरईपी II, कारखाना अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा बिक्री कर अधिनियमों तथा भारतीय

[2] निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए अभिलेख विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत एक पृथक सत्त्व के रूप में पंजीकृत नहीं थी। पूर्व विस्तारित तथा विस्तारित इकाईयों में भण्डारण सुविधाएं भी अवियोज्य रूप से संयुक्त थी तथा उन्हें पृथक रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, जब वीआरईपी II भौतिक रूप से पृथक स्वतन्त्र औद्योगिक इकाई नहीं थी, परन्तु विसाख शोधनशाला, जो पहले से विद्यमान थी, के पुनर्निर्माण द्वारा निर्मित एक इकाई थी, तथा समस्त संयंत्र, मशीनरी तथा सुविधाओं का संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाता था, वह धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती के दावे की पात्र नहीं थी। अतः 1591.51 करोड़ रूपए की अनुमत की गई कटौती अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप इन तीन निर्धारण वर्षों में 575.48 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ और इसके अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई जो पिछले निर्धारण वर्षों के दौरान हुई थी जो समीक्षा के कार्यक्षेत्र में नहीं आते थे।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर तथा नवम्बर 2008) में बताया कि; i) वीआरईपी II इकाई तकनीकी रूप से एक अत्यधिक इकाई है तथा कच्चे माल की किस्मों का प्रक्रियाकरण करने में सक्षम है, तथा उसमें नव गठित प्रक्रियाकरण सुविधाएं समाविष्ट हैं, ii) वीआरईपी II एक स्वतंत्र इकाई है जो अलग से कच्चे तेल का प्रक्रियाकरण कर सकती है तथा पैट्रोलियम उत्पादों का निर्माण कर सकती है क्योंकि प्रक्रियाएं शोधनशाला की पुरानी प्रक्रिया इकाई पर निर्भर नहीं हैं, iii) विभिन्न प्राचल जैसे केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, भारतीय विस्फोटक नियम के अन्तर्गत पंजीकरण न होना, पैट्रोलियम मंत्रालय से पृथक अनुमोदन, संयुक्त भण्डारण तथा तैयार माल का प्रेषण, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल) की रिपोर्ट को कम महत्वपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त तथा पक्के कारण नहीं हैं जिसमें यह बताया गया था कि वीआरईपी II के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाएं, कच्चे तेल को 3 एमएमटीपीए की दर पर कच्चे तेल को स्वतंत्र रूप से प्रक्रियाकृत करने के लिए पर्याप्त थी। लेखापरीक्षा द्वारा नोट किए गए विभिन्न प्राचल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संगत हो सकते हैं न कि तकनीकी मुद्दे का निर्णय लेने के लिए क्या दोनों शोधनशालाएँ एक दूसरे से अलग हैं।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित कारणों के मद्देनज़र स्वीकार्य नहीं हैः

विभाग ने अपने उत्तर में इस बात पर ज़ोर दिया है कि वीआरईपी II एक स्वतंत्र इकाई है जो अलग से कच्चे तेल का प्रक्रियाकरण कर सकती है और पैट्रोलियम उत्पादों का निर्माण कर सकती है क्योंकि प्रक्रियाएं, शोधनशाला की पुरानी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं हैं। तथापि, यह कर से छूट प्राप्त करने का केवल एक प्राचल है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेक्सटाईल मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त के मामले में अपने निर्णय (107 आईटीआर 195) में वर्णित शर्तों के अनुसार, नया औद्योगिक उपक्रम केवल उसके द्वारा ही एक एकीकृत/स्वतंत्र ईकाई होना अपेक्षित नहीं है बल्कि उसे एक पृथक और भिन्न सत्व होना चाहिए। नई इकाई की प्रत्यक्ष पहचान वर्तमान इकाई के साथ सुरक्षित नहीं होनी चाहिए, तथा नई औद्योगिक इकाई, पुरानी इकाई से भौतिक रूप से भिन्न होनी चाहिए, जिसकी पूंजी तथा उन पर लाभों का पता लगाया जा सके। नया उपक्रम पुराने कारबार में

सम्पूर्ण विलयन तथा अपनी पहचान खोए बिना चलाया जा सकता है। नए उपक्रम द्वारा लेखाओं के पृथक लेखे रखे जाते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि वीआरईपी II एक पृथक तथा विभिन्न इकाई नहीं थी जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रदर्शित किया गया है।

1. शोधनशाला प्रक्रिया इकाईयों के स्वतंत्र प्रचालन को छोड़कर, दोनों इकाइयां प्रत्यक्ष रूप से अलग नहीं हैं क्योंकि वीआरईपी II कारखाना अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा बिक्री कर अधिनियमों तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत एक पृथक सत्व के रूप में पंजीकृत नहीं की गई थी। वर्तमान विसाख शोधनशाला के लिए विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी वर्तमान लाइसेंस, विसाख शोधनशाला की बढ़ी हुई क्षमता को समायोजित करने के लिए आशोधित किया गया था।

2. वीआरईपी II इकाई अपने स्वयं के बिक्री बीजक तथा बिक्री सृजित नहीं करती तथा बिक्री समग्र रूप से विसाख शोधनशाला के लिए दर्ज की जाती है। वीआरईपी I इकाई कर से छूट का दावा करने की पात्र नहीं है क्योंकि कर अवकाश अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। दोनों इकाइयों (एक पात्र और एक पात्र नहीं) की बिक्री संयुक्त है जो यह दर्शाती है कि वीआरईपी II की पहचान अभी वीआरईपी I के साथ सम्बद्ध है।

3. वर्ष 2006-07 के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केवल दो शोधनशालाएं हैं अर्थात मुम्बई शोधनशाला (5.5 एमएमटीपीए की क्षमता) तथा विसाख शोधनशाला (7.5 एमएमटीपीए की क्षमता)। विभाग का यह तर्क कि वीआरईपी I तथा वीआरईपी II दो शोधनशालाएं हैं, सही नहीं है।

4. कच्चे तेल की अन्तर्ग्रहण लाईनें तथा भण्डारण वीआरईपी I तथा वीआरईपी II के लिए संयुक्त हैं। तैयार माल का प्रेषण भी बांटा जाता है।

5. ईआईएल ने अपनी रिपोर्ट (अगस्त 2008) में बताया है कि वीआरईपी II का निर्माण करते समय, विभिन्न वर्तमान सुविधाएं/उपयोग बढ़ा दिए गए थे तथा नवीकृत कर दिए गए थे जो यह दर्शाते थे कि वीआरईपी II एक नई शोधनशाला नहीं थी।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता हैं कि वीआरईपी II एक पृथक तथा भिन्न सत्त्व नहीं है तथा ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर पुराने कारबार में वीआरईपी I के साथ अपनी पहचान सुरक्षित रखते समय अपने कार्य कर रही है। विशाखापत्तनम में केवल एक

शोधनशाला है जिसे विसाख शोधनशाला के नाम से जाना जाता है जिसमें वीआरईपी I तथा II इकाईयां अन्तर्विष्ट हैं जो बहुत सी संयुक्त सुविधाएं तथा उपयोग बांटती हैं।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कटौती की अनुमति प्रदान करने से पूर्व एक औद्योगिक उपक्रम की स्थिति का सही ढंग से पता लगा लिया गया है।

2.7.2 शोधनशाला लाभ के संबंध में विभाग के असंगत निर्णय

खनिज/अपरिष्कृत तेल के परिष्करण से होने वाले लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में धारा 80आईबी(9) के अन्तर्गत कटौती अनुमत की जाती है। दो शोधनशालओं में लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने इस मामले पर, कि विपणन मार्जिन[3] इस धारा के अन्तर्गत कटौती अनुमत करने के उद्देश्य से शोधनशाला के लाभ में जोड़ा जाना चाहिए अथवा नहीं, अलग दृष्टिकोण अपनाया है। विपणन मार्जिन को शोधनशाला के लाभ में जोड़ने से लाभ बढ़ जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की राशि बढ़ जाएगी। इस मामले का समस्त शोधनशाला क्षेत्र पर अपना प्रभाव है। उक्त मुद्दे में विभाग के असंगत निर्णय को उजागर करने वाले मामले की नीचे चर्चा की गई हैः

2.7.2.1 महाराष्ट्र, सीआईटी 10 (1), मुम्बई प्रभार, में, 2004-05 तथा 2005-06 निर्धारण वर्षों के लिए एक कम्पनी, **इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड** का निर्धारण अक्तूबर 2006 तथा अक्तूबर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संवीक्षा निर्धारणों में विभाग ने पानीपत शोधनशाला तथा गुजरात शोधनशाला की एयू-V इकाई के लाभ में शामिल किए गए विपणन मार्जिन की सीमा तक 80 आईबी की कटौतियां अननुमत की। दो निर्धारण वर्षों (निर्धारण वर्ष 2004-05: 335.42 करोड़ रूपए, निर्धारण वर्ष 2005-06: 1133.58 करोड़ रूपए) की कुल अननुमत कटौती 1469 करोड़ रूपए थी।

2.7.2.2 विभाग ने विपणन मंडल से प्राप्त लाभ के संबंध में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत निर्धारिती का कटौती का दावा अननुमत करने के लिए निम्नलिखित कारण दिएः

2.7.2.3 "शोधनशाला लाभ की गणना करते समय, बिक्री कीमत, एक शोधनशाला द्वारा किसी अन्य विपणन कम्पनी अथवा शोधनशाला को अपने उत्पाद बेचने से प्राप्त होने वाली कीमत होती है। परिष्कृत उत्पादों की विपणन कीमत वह कीमत मानी जा सकती है जो कोई अन्य शोधनशाला सम्बन्धित उत्पाद पर प्राप्त करती है। इसे नोट किया जाए कि

[3] विपणन मार्जिन शोधनशाला इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर निर्धारिती के विपणन मंडल द्वारा व्युतपन्न तथा एक नियत कीमत पर निर्धारिती के विपणन मंडल को अन्तरित लाभ है।

आईओसीएल ने अपनी शोधनशालाओं के विक्रय उत्पादों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य कम्पनियों से परिष्कृत उत्पाद खरीदें"।

2.7.2.4 "अन्य कम्पनियों की शोधनशालाओं से उत्पाद वे उत्पाद हैं जो तेल उद्योग द्वारा आवधिक रूप से सहमत तथा आयात सादृश्य कीमत (आईपीपी) पर आधारित "शोधनशाला अन्तरण कीमत" (आरटीपी) पर निर्धारिती निगम (आईओसीएल) द्वारा खरीदे गए हों। आईओसीएल भी अपने परिष्कृत उत्पाद, आरटीपी के विपणन अथवा अन्य मंडलों को अन्तरित करता है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि 80 आईबी कटौती के उद्देश्य से कटौती आरटीपी के रूप में ली जानी चाहिए और इसलिए 80 आईबी कटौती दावे के लिए शोधनशाला लाभ में विपणन लाभ को शामिल करने के लिए कोई दावा नहीं है।"

2.7.2.5 इस प्रकार, विपणन मार्जिन/लाभ के रूप में 335.42 करोड़ रूपए (निर्धारण वर्ष 2004-05) तथा 1,133.58 करोड़ रूपए (निर्धारण वर्ष 2005-06) का दावा निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था तथा निर्धारिती की आय में जोड़ दिया गया था।

2.7.2.6 तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए मै. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन को विपणन मार्जिन के संबंध में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की। 80 आईबी की कटौती का दावा करने के लिए विसाख शोधनशाला के मामले में विपणन मार्जिन के अनियमित विचार पर इस संबंध में एक पैरा मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2008 की संख्या पीए 7) में अध्याय II "निर्धारण कार्रवाईयों में तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण के मूल्यांकन पर समीक्षा" में पैरा सं. 2.8.2.1 के रूप में मुद्रित किया गया था। पैरे का सार निम्न प्रकार से हैः

2.7.2.7 महाराष्ट्र, सीआईटी 1, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक कम्पनी **मै. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.** का निर्धारण नवम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने विशाख शोधनशाला-वीआईपी II परियोजना के संबंध में 793.88 करोड़ रूपए की कटौती का दावा किया था। लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह देखा गया था कि धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करते समय विपणन मंडल से संबंधित विपणन मार्जिन के प्रति 279.55 करोड़ रूपए की राशि पर भी विचार किया गया था। चूंकि विपणन मंडल i) धारा 80 आईबी की परिभाषा के अन्तर्गत एक औद्योगिक उपक्रम नहीं है तथा ii) व्यापार गतिविधियों (शोधनशाला उत्पादित बल्क को परचून योग्य लॉटों में परिवर्तित करना तथा उसे परचून बाजारों में बेचना) में लगा हुआ है, अतः विपणन मंडल द्वारा अर्जित लाभ केवल एक व्यापारिक लाभ है न कि निर्माण कार्यों[4] से व्युत्पन्न लाभ। इस प्रकार धारा 80 आईबी के

[4] शोधनशाला द्वारा उसके शोधन क्रियाकलापों से व्युतपन्न लाभ 514.33 करोड़ रूपए था अर्थात उसकी प्रचालन लागत का 14 प्रतिशत।

अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए विपणन मार्जिन पर विचार करना अनियमित था। तथापि, यह राशि अननुमत नहीं की गई थी जिसके परिणमस्वरूप 110.82 करोड़ रूपए के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए धारा 80आईबी के अन्तर्गत 279.55 करोड़ रूपए की अधिक कटौती हुई।"

2.7.2.8 मंत्रालय ने पीएसी को अपने उत्तर (अगस्त 2008) में कहा है कि कम्पनी का एक मंडल से दूसरे मंडल को अन्तरण माल बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री नहीं है क्योंकि कोई भी स्वयं को माल नहीं बेच सकता। शोधनशाला मंडल से विपणन मंडल को एक नियत दर पर अर्न्तमण्डल को अन्तरण करने वाली पुस्तक प्रविष्टियां निर्धारिती का एक आन्तरिक लेखाकरण/नियंत्रण तन्त्र है जो किसी लाभ को बढ़ावा नहीं दे सकता। विपणन मंडल द्वारा केवल बाहरी व्यक्तियों को ही माल बेचने पर लाभ होता है। अतः पात्र शोधनशाला इकाई अर्थात विशाख शोधनशाला द्वारा निर्मित उत्पादों पर समस्त लाभ धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की गणना के लिए पात्र है। बम्बई उच्च न्यायालय का उसके दिनांक 24.7.2006 के आदेश द्वारा निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारिती के अपने मामले में भी यही मत है जो अन्तिम है।

2.7.2.9 इसके अतिरिक्त, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत करते समय विपणन मार्जिन के संबंध में अन्य शोधनशालाओं में विभाग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संबंधित पीएसी के प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि विभाग इस संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय का ही अनुसरण कर रहा था।

2.7.2.10 मंत्रालय का उपर्युक्त उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि **मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि.** के मामले में, विभाग ने विपणन मार्जिन के संबंध में कटौती अनुमत नहीं की है। विभाग ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया है जो ऊपर पैरा 2.7.2.7 में लेखापरीक्षा द्वारा अपनाया गया था। यह रूचिकर है कि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के मामले में निर्धारण को बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख (24 जुलाई 2006) के पश्चात् ही अन्तिम रूप दिया गया था। इसका अर्थ लेखापरीक्षा के मत के साथ सहमति है कि कटौती, विपणन मार्जिन पर अनुमत नहीं की जानी चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया है कि बोर्ड की अनुदेश सं. 2 दिनांक 24 अक्तूबर 2005 जो यह बताती है कि जहां कर प्रभाव 10 लाख रू. से अधिक है वहां अपील के स्तर को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाना चाहिए, का पालन नहीं किया गया यद्यपि विभाग स्वयं इस तथ्य से आश्वस्त था कि कटौती अनुमत करते समय विपणन मार्जिन पर विचार नहीं किया जाएगा जैसा कि आगे की प्रगति से देखा जा सकता है जिसे निम्नलिखित पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है।

2.7.2.11 आईओसीएल ने नवम्बर 2006 में सीआईटी (अ) के पास एक अपील दायर की जिसमें यह कहा गया कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र लाभ से विपणन मार्जिन को हटा कर गलती की थी। अपने दावे के समर्थन में, आईओसीएल ने एचपीसीएल के मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 24 जुलाई 2006 के निर्णय का हवाला दिया। सीआईटी (अ) ने इस निर्णय पर विश्वास रखते हुए अपने दिनांक 24 मार्च 2008 के निर्णय में कहा कि निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए कम्पनी, विवणन मार्जिन में शामिल निर्मित उत्पादों से व्युत्पन्न लाभ पर धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र होगी। विभाग ने दिनांक 26.5.2008 को आईटीएटी के पास एक दूसरी अपील दायर की है। निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए, सीआईटी (अ) को अपील लम्बित है।

2.7.2.12 आईओसीएल तथा एचपीसीएल के मामलों में विभाग का असंगत दृष्टिकोण न केवल इन दो शोधनशालाओं में बल्कि देश में अन्य शोधनशालाओं के मामले में भी विभाग द्वारा अगले वर्षों में वहन किए जाने वाली सम्भावित राजस्व हानियों के अतिरिक्त आईओसीएल से 535.14 करोड़ रूपए[5] के राजस्व को ऊपर चर्चित दो निर्धारण वर्षों के लिए जोखिम में डाल दिया।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि अपील का स्तर उच्चतम स्तर तक ले जाया गया है अथवा इस प्रकार के व्यापक प्रभाव वाले मामलों में अधिनियम के संगत प्रावधानों में भी संशोधन कर दिया गया है जिससे स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाए तथा निर्धारण कार्यवाहियों में विसंगतियों के लिए कोई गुजांइश न रहे।

2.7.2.13 एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में, बोर्ड ने बताया कि विभिन्न आधिकारिक उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के मद्देनज़र, विभिन्न राज्यों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा एक एकरूप निर्णय लेना कठिन था। तथापि, लेखापरीक्षा ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उठाया गया मामला उसी राज्य तथा उसी आधिकारिक उच्च न्यायालय से संबंधित था। बोर्ड ने लेखापरीक्षा सिफारिश स्वीकार की और कहा कि विधि की समुचित प्रक्रिया के साथ अपील को अन्तिम रूप देने पर मामले का समाधान कर लिया जाएगा।

2.7.3 धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की गणना के लिए गिनी गई ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न न की गई आय

2.7.3.1 धारा 80 आईबी के अनुसार, इस धारा के अन्तर्गत कटौतियां, मदों अथवा वस्तुओं का निर्माण करने वाले औद्योगिक उपक्रम से एक निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में ग्राह्य है। कटौती का कड़ाई से संकुचन किया जाना चाहिए, तथा

[5] निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए विभाग द्वारा अननुमत कुल कटौतियों पर आयकर 35 प्रतिशत की दर पर+ अधिभार 2.5 प्रतिशत की दर पर + शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत की दर पर।

अधिनियमन की भाषा आय, जो कि औद्योगिक उपक्रम के केवल प्रासंगिक अथवा सहायक है परन्तु जो उससे तथा उसमें से नहीं निकलती, के लाभ के विस्तार को रोकती है। संयुक्त कारबार के मामले में, राहत केवल औद्योगिक उपक्रम के लाभों तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, कटौती की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, पात्र कारबार के लाभ एवं अभिलाभ की गणना इस प्रकार से की जाएगी कि ऐसे लाभ एवं अभिलाभ संगत पिछले वर्ष के दौरान केवल निर्धारिती की आय का ही स्रोत हों।

2.7.3.2 लेखापरीक्षा ने केरल में एक मामले में देखा कि जहां धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि आय पात्र कारबार से व्युत्पन्न नहीं हुई थी। मामले की नीचे चर्चा की गई है:

2.7.3.3 केरल, सीआईटी कोच्चि प्रभार में, एक कम्पनी, **मै. कोच्चि रिफाइनरीस लिमिटेड,** (अब 10.9.2007 को सीआईटी, मुम्बई को अन्तरित) का निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारण, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 12.44 करोड़ रू. की कटौती अनुमत करने के पश्चात 111.83 करोड़ रू. की आय निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। एक अपीलीय आदेश के परिणामस्वरूप, 105.32 करोड़ रू. की आय निर्धारित करते हुए, निर्धारण को अक्तूबर 2005 में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कटौती अनुमत करते समय, 11.43 करोड़ रू. (ब्याज, विविध प्राप्तियां, आदि) की कुल "अन्य आयं को ध्यान में रखा गया था। चूंकि 11.43 करोड़ रू. की अन्य आय औद्योगिक क्रियाकलाप से व्युत्पन्न नहीं हुई थी, अतः निर्धारिती उस सीमा तक धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का पात्र नहीं था। अतः अन्य आय का अन्तर्वेशन सही नहीं था और उसके परिणामस्वरूप 3.43 करोड़ रू. की अधिक कटौती हुई जिसका ब्याज सहित परिणामी कर प्रभाव 2.16 करोड़ रू. था। विभाग ने अक्तूबर 2007 में त्रुटि स्वीकार की और उसका संशोधन किया।

2.8 औद्योगिक उपक्रम

2.8.1 औद्योगिक उपक्रम, जो नए नहीं है, की कटौतियां

धारा 80 आईबी के अन्तर्गत, जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में इस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी कारबार से कोई लाभ एवं अभिलाभ शामिल हैं, निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय, ऐसे लाभ एवं अभिलाभ से कटौती, उस प्रतिशतता के समान तथा इस भाग के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्षों के लिए राशि के लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में कटौती अनुमत होगी। यह धारा उस औद्योगिक उपक्रम पर लागू होगी जो पहले से विद्यमान कारबार के विखण्डन अथवा पुनर्निर्माण द्वारा निर्मित नहीं है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक उपक्रम पुराने संयंत्र अथवा मशीनरी के अन्तरण द्वारा निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि अन्तरित परिसम्पत्तियों का मूल्य, कारबार में प्रयुक्त मशीनरी अथवा संयंत्र के कुल मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो शर्त पूरी मान ली जाएगी।

2.8.1.1 लेखापरीक्षा ने ऐसे 26 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि वे नए औद्योगिक उपक्रम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में 19.58 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव वाली आय का अवनिर्धारण हुआ। इनमें से दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

2.8.1.2 जम्मू कश्मीर, सीआईटी जे एण्ड के प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए एक फर्म, **मै. सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज़** का निर्धारण दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती एक साझीदार फर्म थी जिसमें **मै. सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,** एक अन्य कम्पनी का 95 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अतिरिक्त, 9.05 करोड़ रूपए की राशि के संयंत्र तथा मशीनरी के कुल मूल्य में से, 7.26 करोड़ रूपए मूल्य की संयंत्र तथा मशीनरी, जो कुल संयत्र एवं मशीनरी का 80 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान मै. सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज़ इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड से अन्तरित किया गया था। चूंकि निर्धारिती फर्म एक विद्यमान कम्पनी (मै. सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड) को विखण्डित करके निर्मित की गई थी, और अन्तरित परिसम्पत्तियों का मूल्य 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक था, निर्धारिती अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की अनुमति का पात्र नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप 8.63 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.8.1.3 महाराष्ट्र, सीआईटी केन्द्रीय 1, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक व्यष्टि **श्रीमती मधु गुप्ता** मै. फोटो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की मालिक का निर्धारण पांडिचेरी स्थित इकाई के संबंध में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत क्रमशः 8.18 करोड़ रूपए[6], 1.36 करोड़ रूपए तथा 4.41 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः मार्च 2005, मार्च 2006 तथा दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित बातें देखीं:

2.8.1.4 निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए आय की विवरणी के साथ धारा 80 आईबी तथा नियम 18 बीबीबी के अधीन निर्धारिती फार्म सं. 10 सीसीबी में अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट दायर नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारण के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए फोटो फिल्मस इण्डस्ट्रीज का कारबार मै. जी.जी. फोटो लि., जो पहले से ही अस्तित्व में थी, के कारबार का केवल पुनर्निर्माण था, 80 आईबी के अन्तर्गत दावे से इनकार कर दिया। सीआईटी (अपील) ने भी धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की अननुमति के संबंध में निर्धारण अधिकारी के निर्णय का समर्थन किया (जनवरी 2006)। तथापि, निर्धारिती की

[6] राहत आईटीएटी द्वारा अनुमत की गई थी।

अपील पर, आईटीएटी मुम्बई बैंच ने निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए पूरा दावा अनुमत कर दिया (मई 2007)।

2.8.1.5 लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि तीन निर्धारण वर्षों में से किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में अनिवार्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः निर्धारिती कटौती का पात्र नहीं था। अतः लेखापरीक्षा की राय में, विभाग को इस तथ्य के मद्देनज़र आईटीएटी के निर्णय के विरूद्ध अपील के स्तर को बढ़ाना चाहिए था कि (i) अनिवार्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए, (ii) ब्याज सहित अन्तर्ग्रस्त राजस्व प्रभाव 6.19 करोड़ रू.[7] था, तथा बोर्ड के दिनांक 24 अक्तूबर 2005 के अनुदेश सं.2 के अनुसार, जहां अन्तर्ग्रस्त कर 4 लाख रू. अथवा अधिक है, वहां विभाग को अधिनियम की धारा 260 ए के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करनी चाहिए, (iii) कटौती अननुमत करने का निर्धारण अधिकारी का निर्णय ठोस कारणों पर आधारित था, तथा उसका सीआईटी (अपील) द्वारा भी समर्थन किया गया था।

2.8.1.6 विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2008) तथा कहा कि अनिवार्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के संबंध में अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत निर्धारण खोल कर निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए उपचारी कार्रवाई पहले ही कर ली गई है, तथा निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए उपचारी कार्रवाई की जांच की जा रही थी।

इस प्रकार, एक औद्योगिकी उपक्रम को धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती प्रदान करने के लिए मूल शर्तों जैसे (i) यह नया उपक्रम होना चाहिए तथा पहले से ही अस्तित्व वाले कारबार के विखण्डन अथवा पुनर्निर्माण द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए, तथा (ii) यह 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पुराने संयंत्र एवं मशीनरी के अन्तरण द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए, का इन मामलों में उल्लंघन हुआ है।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कटौती अनुमत करने से पूर्व एक औद्योगिक उपक्रम की स्थिति का पता लगाने के लिए विस्तृत विश्लेषण कर लिया गया है।

[7] निर्धारण वर्ष 2002-03,- 3.51 करोड़ रू., निर्धारण वर्ष 2003-04-0.59 करोड़ रू., निर्धारण वर्ष 2004-05- 2.09 करोड़ रू.।

2.8.2 निर्माण न करने वाले क्रियाकलापों अथवा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्व मदों के उत्पादन में लगे हुए औद्योगिक उपक्रम

2.8.2.1 धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए, एक औद्योगिक उपक्रम को किसी मद अथवा वस्तु (ऐसी कोई मद अथवा वस्तु न हो जो ग्यारहवी अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट हो) का निर्माण अथवा उत्पादन करना चाहिए।

निर्माण का अर्थ

यदि श्रम अथवा कौशल को लगाने पर एक वस्तु उस सीमा तक रूपान्तरित कर दी जाती है कि वह वाणिज्यिक रूप से एक अलग वस्तु बन जाती हो, तो निर्माण हो गया। जिस क्षण एक नई वस्तु में रूपान्तरण होता है जिसका अपना गुण, प्रयोग तथा नाम हो, चाहे वह एक प्रक्रिया अथवा कई प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप हो, "निर्माण" हो जाता है।

2.8.2.2 लेखापरीक्षा ने ऐसे 87 मामले देखे जहां धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप निर्माण के नहीं थे अथवा अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसची में सूचीबद्व थे। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में 22.94 करोड़ रू. का राजस्व प्रभाव था। इनमें से, तीन मामलों की चर्चा नीचे की गई है तथा तीन मामले **परिशिष्ट 10** में दिए गए हैं।

2.8.2.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 23, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक फर्म **मै. मारमो क्लासिक** का निर्धारण सिलवासा में स्थित औद्योगिक इकाई के संबंध में क्रमशः 5.34 करोड़ रू. तथा 10.58 करोड़ रू. की कटौती अनुमत करने के पश्चात् दिसम्बर 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती पत्थर के स्लेबों तथा टाईलों को काटने तथा उन्हें पालिश करने के कार्य में कार्यरत था। न्यायिक रूप से यह निर्णय[8] था कि लाईम स्टोन तथा मार्बल ब्लाक तथा उनकी कटिंग तथा साईज़िंग निर्माण के क्रियाकलाप नहीं थे, तथा निर्धारिती विशेष कटौती का हकदार नहीं था। चूंकि निर्धारित मदों अथवा वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के कार्य में, कार्यरत नहीं था, अतः वह धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का पात्र नहीं था तथा अनुमत कटौती गलत थी। 15.92 करोड़ रू. के योग की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 7.23 करोड़ रू. का राजस्व प्रभाव हुआ। विभाग ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2008) में बताया कि मार्बल ब्लॉकों को मार्बल स्लैबों तथा टाईलों के छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया थी, पैनी से साफ करना, हस्त्य ड्रैसिंग करना तथा रासायनिक विश्लेषण द्वारा प्राकृतिक त्रुटियों को यांत्रिक रूप से ठीक करना, पालिश करना तथा आकार

[8] लक्की मिनमत प्रा.लि. बनाम सीआईटी, 245 आईटीआर 830 (एससी)

देना, जो कि मार्बल ब्लॉकों को छोटे स्लैबों तथा टाईलों को विपणन पदार्थों के रूप में बनाने के लिए अनिवार्य है। ये अन्त उत्पाद मूल मार्बल ब्लॉकों से पृथक तथा भिन्न हैं। अतः यह प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया थी और कटौती सही अनुमत की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा बताई गई प्रक्रिया मार्बल ब्लॉकों को छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया है, और यह निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। इस मत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

लक्की मिनमत प्रा.लि. बनाम सीआईटी [245 आईटीआर 830] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय था कि यदि निर्धारिती चूनापत्थर तथा मार्बल ब्लॉकों तथा उसके प्रश्चात् उन्हें बाज़ार में बेचने से पहले उन्हें काटने तथा आकार देने के बाद लगाने के काम में लगा हुआ है तो यह निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया [226 आईटीआर 245] जिसमें "निर्माण" शब्द को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया थाः

"निर्माण का अर्थ परिवर्तन से है, परन्तु हर परिवर्तन निर्माण नहीं है यद्यपि मद में प्रत्येक परिवर्तन उपचार, मज़दूरी तथा जोड़-तोड़ का ही परिणाम है। ऐसा परिवर्तन लाने के लिए जो निर्माण लगे, कुछ और अनिवार्य है और वह और रूपान्तरण है अर्थात एक नईं भिन्न मद जिसका एक अलग नाम, विशेषता अथवा उपयोग अवश्य सामने आए"। निर्धारिती के मामले में पहली अवस्था से अन्तिम अवस्था तक मद का स्वरूप वहीं अर्थात मार्बल ही है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सीआईटी 2 मुम्बई प्रभार में निर्धारित मै. इनानी मार्बल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ लि. के एक ऐसे ही मामले में निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए 80 आईबी की कटौती विभाग द्वारा इसी आधार पर ही दिसम्बर 2006 में अननुमत की गई थी।

2.8.2.4 पश्चिम बंगाल, सीआईटी केन्द्रीय I, कोलकाता प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2006-07 के लिए एक फर्म **मै. जे.एल मॉरिसन लि.** का निर्धारण संवीक्षा के पश्चात् क्रमशः मार्च 2004, मार्च 2005, मार्च 2006, अक्तूबर 2006, मार्च 2007 और मार्च 2008 में पूरा किया गया था। निर्धारिती कास्मेटिक तथा दाँतो की देखभाल के उत्पादों, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्व हैं, के निर्माण में कार्यरत था। चूंकि निर्धारिती न तो पिछड़े राज्य में स्थित उपक्रम था, न ही लघु उद्योग उपक्रम (एसएसआई), अतः कटौती ग्राहय नहीं थी। अतः कटौती अनुमत करने में गलती के परिणामस्वरूप 5.31 करोड़ रू. की आय का संचयी अवनिर्धारण हुआ जिसमें 2001-02 से 2004-05 के निर्धारण वर्षों के लिए 1.66 करोड़ रू., 2005-06 के निर्धारण वर्ष के लिए 32.51 लाख रू. तथा 2006-07 के निर्धारण वर्ष के लिए 46.12 लाख रू. के कर का अवनिर्धारण अन्तर्ग्रस्त था जिसके कारण छः वर्षों में ब्याज सहित 2.44 करोड़ रू. के कर का संचयी अव प्रभार हुआ।

2.8.2.5 महाराष्ट्र, सीआईटी 24, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए एक फर्म **मैं. सिलवासा वुडन ड्रम्स**, का निर्धारण क्रमशः मार्च 2006 तथा मार्च

2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था तथा निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए विवरणी मार्च 2008 में संक्षिप्त ढंग में पूरी हुई थी। सिलवासा स्थित इकाई के संबंध में निर्धारिती को धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 78.00 लाख रू., 1.55 करोड़ रू. तथा 2.68 करोड़ रू. की कटौती अनुमत की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती स्टील टेप तथा कोल्ड रोल्ड कॉयलों/स्ट्रिपों के यशदीकरण में कार्यरत था। यह एक न्यायिक निर्णय[9] है कि यशदीकरण की प्रक्रिया से नए माल का निर्माण अथवा उत्पादन नहीं होता और इसलिए यशदीकरण का कार्य करने वाला निर्धारिती कटौती का हकदार नहीं था। चूंकि निर्धारिती मदों के निर्माण अथवा उत्पादन में कार्यरत नहीं था, उसे 5.01 करोड़ रू. की अनुमति अथवा कटौती अनियमित थी जिसमें 1.95 करोड़ रू. का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2008) में बताया कि चूंकि निर्धारिती स्टील टेपों तथा सीआर स्ट्रिपों के निर्माण तथा यशदीकरण के कार्य में लगा हुआ था, और यशदीकरण बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं किया गया था बल्कि नियमित कारबार क्रियाकलापों के लिए किया गया था, अतः कटौती सही अनुमत की गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती का कार्यकलाप कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिपों से कुण्डल हटाना, उन्हें छोटे आकार में काटना और उसका यशदीकरण करना था। सीआर स्ट्रिपों को छोटे आकार में काटने की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इससे उसके अवयवों से कोई नया उत्पाद नहीं बनता।

इस प्रकार, उन औद्योगिक उपक्रमों को कटौतियां अनुमत की गई थी जो निर्माण कार्य नहीं कर रहे थे।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में न्यायिक उद्घोषणाएं ऐसे सभी मामलों पर लागू हैं।

2.8.3 निर्धारित समय सीमा के अन्दर शुरू न होने वाले निर्माण अथवा उत्पाद

2.8.3.1 धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाने के लिए, औद्योगिक उपक्रम का 1 अप्रैल 1991 तथा 31 मार्च 1995 के बीच मदों अथवा वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन अथवा कोल्ड स्टोरेज संयंत्र अथवा संयंत्रों का प्रचालन शुरू कर देना चाहिए।

2.8.3.2 लेखापरीक्षा ने ऐसे 125 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अन्दर उत्पादन क्रियाकलाप शुरू नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 34.51 करोड़ रू. के राजस्व प्रभार की आय का अवनिर्धारण हुआ। इनमें से दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है तथा पांच मामले **परिशिष्ट 11** में दिए गए हैं।

[9] सीआईटी बनाम हिन्दुस्तान मेटल रिफाइनिग वर्क्स (प्रा.) लि. 128- आईटीआर - 472 (केल)

2.8.3.3 चण्डीगढ़,, सीआईटी I प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी **मै. भूषण लि.** का निर्धारण जनवरी 2005 तथा जनवरी 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने 19.80 करोड़ रू. की कटौती का दावा किया था और उसे वह अनुमत कर दी गई थी। चूंकि निर्धारिती ने 1 अप्रैल 1991 से काफी पहले 1 मार्च 1985 को उत्पादन क्रियाकलाप शुरू कर दिया था, अतः वह कटौती का पात्र नहीं था। 19.80 करोड़ रू. के योग की अनियमित राशि की कटौती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 8.75 करोड़ रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

2. 8.3.4 दिल्ली, सीआईटी VI प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए एक कम्पनी **मै. टिना ओवरसीज़ लि.** का निर्धारण उसकी पानीपत तथा चेन्नई इकाईयों के लिए धारा 80 आईबी के अन्तर्गत क्रमशः 3.72 करोड़ रूपए तथा 2.45 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् नवम्बर 2006 तथा मार्च 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने धारा 80 आईबी (4) के अन्तर्गत पानीपत इकाई (1 अगस्त 2001 से प्रचालन प्रारम्भ किया) तथा चेन्नई इकाई (20 दिसम्बर 2000 से शुरू किया) के संबंध में कटौती का दावा किया था। इसके अन्तर्गत, धारा 80 आईबी (4) के अन्तर्गत कटौती केवल तभी अनुमत है जब औद्योगिक उपक्रम अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में स्थित हो। तथापि, पानीपत इकाई तथा चेन्नई इकाई हरियाणा तथा तमिलनाडु राज्यों में आते हैं जो अधिनियम की अनुसूची आठ के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्य नहीं हैं। अतः निर्धारिती धारा 80 आईबी (4) के अन्तर्गत कटौती लेने का पात्र नहीं था। पानीपत तथा चेन्नई स्थित इकाईयों के लिए कटौती केवल धारा 80 आईबी (3) के अन्तर्गत ली जा सकती है, परन्तु, निर्धारिती इस धारा के अन्तर्गत भी कटौती लेने का हकदार नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने दिसम्बर 2000 तथा अगस्त 2001 में प्रचालन शुरू किए थे जो इस धारा के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1995 के अन्दर नहीं था। इस प्रकार, 3.72 करोड़ रूपए तथा 2.45 करोड़ रूपए की कटौती अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 2.87 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस प्रकार, उन मामलों में जिनमें अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर उत्पादन शुरू नहीं हुआ था, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौतियां प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाएं ताकि निर्धारण अधिकारी धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की प्रयोज्यता के लिए समयावधि के निर्धारण में सतर्क रहें।

2.8.4 कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट संख्या में रोजगार प्रदान न करना

2.8.4.1 धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए, अधिनियम की धारा 80 आईबी में यह प्रावधान है कि उपक्रम विद्युत की सहायता से की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया में 10 अथवा अधिक कर्मी, अथवा विद्युत की सहायता के बिना की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया में 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियुक्त करता है।

2.8.4.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि 13 मामलों में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की गई थी, हालांकि विनिर्दिष्ट संख्या में कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में 5.97 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव की आय का अवनिर्धारण हुआ। इनमें से, दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

2.8.4.3 दिल्ली, सीआईटी IV प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए एक कम्पनी, **मै. ग्लोबल बिज़नस इण्डिया प्रा. लिमिटेड** का निर्धारण, अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 7.25 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् 1.37 करोड़ रूपए की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अगरतला में एक कारखाने में 15 कर्मी नियुक्त किए गए थे। आगे की जांच से पता चला कि पिछले वर्ष (2002-03) के दौरान, निर्धारिती ने 35.65 करोड़ रूपए (उत्पादन का 0.013 प्रतिशत) के कुल उत्पादन के प्रति "विद्युत तथा ईंधन व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत 0.45 लाख रूपए का व्यय किया था। निर्धारण वर्ष 2002-03 से संगत निर्धारण वर्ष (2001-02) के दौरान भी, निर्धारिती ने 13.02 करोड़ रूपए (उत्पादन के 0.03 प्रतिशत) के कुल उत्पादन के प्रति विद्युत तथा ईंधन व्यय की लगभग समान राशि (0.43 लाख रूपए) वहन की थी। विश्लेषण से पता चला कि विद्युत तथा ईंधन पर खर्चों में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ था/बहुत कम परिवर्तन हुआ था, जबकि उसी अवधि में उत्पादन 174 प्रतिशत बढ़ा था जो इस तथ्य का सूचक है कि विद्युत, की निर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं थी। चूंकि कम्पनी विद्युत की सहायता से काम नहीं कर रही थी और उसमें 20 से कम कर्मी हैं, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती ग्राह्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 7.25 करोड़ रूपए राशि की कटौती की गलत अनुमति प्रदान की जिसमें ब्याज सहित 3.66 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। इसके अतिरिक्त निर्धारिती ने फार्म सं. 10 सीसीबी में अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। निष्कर्ष को स्वीकार करते समय विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि उपचारी कार्रवाई की जा रही थी।

2.8.4.4 जम्मू कश्मीर, सीआईटी ज. एवं क. प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए एक व्यष्टि **श्री धनजी भाई आनन्दजी भाई, मै. मेकसन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के मालिक** का निर्धारण 2.89 करोड़ रूपए तथा 2.22 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः मार्च 2007 तथा फरवरी 2008 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा

किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संगत पूर्व वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान निर्माण प्रक्रिया में 12 कर्मी नियुक्त किए गए थे। तथापि, फार्म सं. 10 सीसीबी के अनुसार, निर्धारिती ने विद्युत की सहायता के बिना ही निर्माण प्रक्रिया की थी। अतः वह कटौती की अनुमति का पात्र नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, न्यूनतम 20 कर्मियों के बजाए केवल 12 कर्मी नियुक्त किए थे। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त निर्धारण वर्ष के लिए 97.19 लाख रूपए तथा 74.81 लाख रूपए के तद्नुरूपी कर प्रभाव सहित 2.89 करोड़ रूपए तथा 2.22 करोड़ रूपए की अग्राह्य कटौती हुई।

इस प्रकार इन मामलों में, जहां कर्मचारियों की निर्दिष्ट संख्या में नियुक्ति भी नहीं की गई थी, विभाग ने धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की है।

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्योंकि कर्मचारियों की संख्या तथा निर्माण क्रियाकलापों में विद्युत के उपयोग की सूचना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई है, उस सूचना का निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा तथा धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौतियां अनुमत करने से पूर्व निर्धारिती के लेखाओं से सत्यापन किया जा रहा है।

2.8.5 धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की गणना के लिए गिनी गई ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न न की गई आय

2.8.5.1 धारा 80 आईबी के अनुसार, इस धारा के अन्तर्गत कटौतियां, मदों अथवा वस्तुओं का निर्माण करने वाले औद्योगिक उपक्रम से एक निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में ग्राह्य है। कटौती का कड़ाई से संकुचन किया जाना चाहिए, तथा अधिनियमन की भाषा आय, जो कि औद्योगिक उपक्रम के केवल प्रासंगिक अथवा सहायक है परन्तु जो उससे तथा उसमें से नहीं निकलती, के लाभ के विस्तार को रोकती है। संयुक्त कारबार के मामले में, राहत केवल औद्योगिक उपक्रम के लाभों तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, कटौती की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, पात्र कारबार के लाभ एवं अभिलाभ की गणना इस प्रकार से की जाएगी कि ऐसे लाभ एवं अभिलाभ संगत पिछले वर्ष के दौरान केवल निर्धारिती की आय का ही स्रोत हों।

2.8.5.2 लेखापरीक्षा ने ऐसे 251 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि आय पात्र कारबार से व्युत्पन्न नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप आन्ध्रप्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 47.72 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव की आय का अवनिर्धारण हुआ। इनमें से, दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है तथा पांच मामले **परिशिष्ट 12** में दिए गए हैं।

2.8.5.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 2, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी, **मै. टाटा केमिकल्स लि.** का निर्धारण, उत्तर प्रदेश में बदायूँ ज़िले में स्थित बबराला ऊर्वरक मंडल के संबंध में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 32.38 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् जनवरी 2005, में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की गणना प्रतिधारण कीमत आर्थिक सहायता (143.92 करोड़ रूपए), वृद्धि आर्थिक सहायता (60.89 करोड़ रूपए), भाड़ा आर्थिक सहायता (34.51 करोड़ रूपए) तथा बीमा दावा (1.78 करोड़ रूपए) से कुल 241.10 करोड़ रूपए की अन्य आय को हिसाब में लेने के पश्चात् ही की गई थी जो कि कटौती की पात्र नहीं थी। अग्राह्य आय को कम करने के पश्चात् कटौती अनुमत करने के लिए कोई शेष लाभ उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार 32.38 करोड़ रूपए की अनुमत कटौती गलत थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 16.01 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव हुआ।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2008) में बताया कि आर्थिक सहायता का निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के साथ सीधा संबंध है और इसलिए वह कारबार आय का भाग है जो धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की पात्र है। हालांकि सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता निर्धारिती को सरकारी प्रशासनिक कीमतों पर विभिन्न किस्म के ऊर्वरक बेचने से संभावित हानि की प्रतिपूर्ति के लिए होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह देखा गया था कि उसी निर्धारिती के बाद में निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के क्रमशः फरवरी 2006 तथा दिसम्बर 2006 में पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारणों में कीमत रियायत आर्थिक सहायता, उत्पाद आर्थिक सहायता, बिक्री कर माफी के संबंध में 80 आईबी के दावे विभाग द्वारा मना कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालय निर्णयों[10] में इस बात पर बल दिया गया है कि इस प्रकार की आय (सरकार से आर्थिक सहायता) औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न न हुई आय मानी जानी थी और इसलिए वह धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं थी।

2.8.5.4 महाराष्ट्र, सीआईटी 6, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक कम्पनी **मै. अकरूती निर्माण लि.** का निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 8.33 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् मई 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दावे में प्राप्त किराए के प्रति 6.34 करोड़ रूपए शामिल थे जो कटौती के लिए पात्र नहीं था। 6.34 करोड़ रूपए अननुमत करने की चूक का ब्याज सहित 2.59 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव हुआ।

इस प्रकार, ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न न होने वाली आय कटौती के लिए गिनी गई थी।

[10] सीआईटी बनाम विश्वनाथ एण्ड क. (261 आईटीआर 737 (मद्रास))
सीआईटी बनाम स्टर्लिंग फूडज़ (237 आईटीआर 579 (एससी))
सीआई टी बनाम फेन्नर इण्डिया लि. (239 आईटीआर 480 (मद्रास))

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मंत्रालय को समुचित निर्देश के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आय, जिस पर निर्धारिती द्वारा कटौती मांगी गई है, का विवेचनीय रूप से विश्लेषण कर लिया गया है तथा आय के केवल उसी भाग पर ही कटौती के लिए विचार किया जाता है जो ग्राह्य स्त्रोतों से व्युत्पन्न हुई है।

2.9 आवास परियोजनाएं

2.9.1 धारा 80 आईबी (10) के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम के मामले में कटौती की राशि, 31 मार्च 2007 से पूर्व अनुमोदित विकास एवं भवन आवास परियोजनाएं, समस्त निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर उस आवास परियोजना से व्युत्पन्न लाभ का सौ प्रतिशत होगी। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि उपक्रम ने 1 अक्तूबर 1998 को अथवा उसके पश्चात् विकास शुरू किया है या करेगा तथा उस निर्माण को वित्तीय वर्ष, जिसमें आवास परियोजना पहले अनुमोदित हुई है, के अन्त से 4 वर्ष के अन्दर अथवा 1 अप्रैल 2008, जो भी बाद में हो, पूरा करेगा। कटौती का दावा करने के लिए समापन प्रमाणपत्र अनिवार्य है। भूमि के प्लाट का आकार न्यूनतम एक एकड़ होना चाहिए। आवासीय इकाई का अधिकतम निर्मित क्षेत्र मुम्बई अथवा दिल्ली में एक हज़ार वर्ग फुट तथा अन्यत्र एक हज़ार पांच सौ वर्ग फुट होना चाहिए। निर्धारण वर्ष 2004-05 तक परियोजना में कोई दुकान अथवा वाणिज्यिक स्थापनाएं अनुमत नहीं थी तथा निर्धारण वर्ष 2005-06 से दुकानों/वाणिज्यिक स्थापनाओं का निर्मित क्षेत्र आवास परियोजना के सकल निर्मित क्षेत्र के पांच प्रतिशत अथवा दो हज़ार वर्ग फुट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.9.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि 99 मामलों में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि निर्धारिती i) विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त अवधि में विकास/निर्माण शुरू करना, ii) वाणिज्यिक स्थापनाओं का सृजन (निर्धारण वर्ष 2004-05 तक अनुमत नहीं) अथवा निर्धारित प्रतिमानों से अधिक वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित करना (निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा उससे आगे), iii) समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, iv) आवास परियोजना की भूमि का क्षेत्र एक एकड़ से कम होना आदि कारणों के कारण कटौती का दावा करने के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में 55.43 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव की आय का अवनिर्धारण हुआ। इनमें से, छः मामलों की चर्चा नीचे की गई है तथा नौ मामले **परिशिष्ट 13** में दिए गए हैं।

2.9.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 3, पुणे प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए एक कम्पनी, **मै. रनवाल मल्टी हाऊसिंग प्रा. लि.** के निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 3.34 करोड़ रूपए, 3.39 करोड़ रूपए तथा 5.46 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः मार्च 2006, दिसम्बर 2006 तथा दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरे किए गए थे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फार्म सं. 10 सीसीबी) से यह देखा गया था कि परियोजना निर्माणाधीन थी तथा स्थानीय प्राधिकरण से अनिवार्य समापन

प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना की 3982 वर्ग फुट माप की वाणिज्यिक इकाईयां थी जो कि 2000 वर्ग फुट की अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक था। इस प्रकार आवास परियोजना कटौती की पात्र नहीं थी तथा 12.19 करोड़ रूपए के योग की कटौती की अनुमति अनियमित थी जिसका राजस्व प्रभाव 5.97 करोड़ रूपए था।

2.9.4 महाराष्ट्र, सीआईटी 1, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए एक फर्म, **मै. दोस्ती एसोसिएट्स** का निर्धारण, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 11.49 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् मार्च 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना की वाणिज्यिक दुकानें थी। चूंकि दुकानों/वाणिज्यिक स्थापनाओं के संबंध में प्रावधान केवल निर्धारण वर्ष 2005-06 से लागू था, अतः निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2005-06 से पूर्व कटौती का दावा करने का पात्र नहीं था। इस प्रकार, 11.49 करोड़ रूपए की कटौती का गलत दावा करने के परिणामस्वरूप 4.22 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव हुआ।

2.9.5 महाराष्ट्र में, सीआईटी 2, थाणे प्रभार के अधीन, निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए एक फर्म **मै. सिद्धि रियल एस्टेट डिवेलपर्स** का निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 8 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् अक्तूबर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना पूरी नहीं हुई थी तथा परियोजना का अनिवार्य समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। समापन न होने के कारण, परियोजना कटौती की पात्र नहीं थी तथा आंशिक रूप से पूरे किए गए भवनों पर कटौती की अनुमति अनियमित थी। 8 करोड़ रूपए की कटौती की गलत अनुमति का ब्याज सहित 3.83 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव था।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2008) में बताया कि आवास परियोजना में 19 भवन शामिल थे तथा 10 भवन पिछले वर्ष के दौरान पूरे/विकसित किए गए थे, और इसीलिए इन भवनों से हुए लाभ को धारा 80 आईबी के अन्तर्गत अनुमत किया गया था। यह भी बताया गया था कि समस्त परियोजना 31 मार्च 2006 से पूर्व पूरी कर ली गई थी। उसमें यह भी बताया गया कि निर्धारिती को "वर्ष दर वर्ष" आधार पर अथवा "परियोजना समापन विधि" पर आवास परियोजना से लाभ/हानि का प्रस्ताव कर सकता है। तथापि, धारा 5 की अर्थापत्ति के कारण, विभाग ऐसे निर्धारितियों पर "परियोजना समापन विधि" के बजाए "वर्ष दर वर्ष" पर कर लगाने को प्राथमिकता देता है। निम्नलिखित के मद्देनज़र उत्तर स्वीकार्य नहीं हैः

- यद्यपि निर्धारिती के पास वार्षिक आधार पर अथवा सामान्य क्रम में परियोजना समापन विधि पर एक आवास परियोजना से लाभ/हानि प्रस्तावित करने का विकल्प है, तथापि धारा 80 आईबी (10), नियम 18 बीबीबी तथा फार्म सं. 10 सीसीबी की अपेक्षा के अनुसार दावा करने के लिए समस्त परियोजना पूरी की जानी चाहिए तथा परियोजना का अनिवार्य समापन प्रमाणपत्र, विवरणी के साथ फाईल किया

जाना चाहिए। चूंकि निर्धारण वर्ष 2005-06 से संगत पिछले वर्ष 2004-05 के दौरान समस्त परियोजना पूरी नहीं की गई थी, अतः कटौती अनुमत करना अनियमित था।

- विभाग ने बताया कि समस्त परियोजना मार्च 2006 तक पूरी कर ली गई थी। अतः कटौती, समापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर केवल निर्धारण वर्ष 2006-07 में ही अनुमत की जा सकती है।

2.9.6 महाराष्ट्र, सीआईटी 21, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक फर्म **मै. पाथरे एण्ड एसोसिएट्स** का निर्धारण संवीक्षा के उपरान्त धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 7.95 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् दिसम्बर 2006 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना के पास 3974 वर्ग फुट माप की दुकानें तथा वाणिज्यिक क्षेत्र थे। चूंकि दुकानों/वाणिज्यिक स्थापनाओं के संबंध में प्रावधान केवल निर्धारण वर्ष 2005-06 से ही लागू था, अतः अप्रैल 2005 से पूर्व निर्मित वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए कटौती का दावा करना अनियमित था और उसे अननुमत किया जाना अपेक्षित था। अतः परियोजना कटौती की पात्र नहीं थी तथा 7.95 करोड़ रूपए की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 3.79 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव हुआ। विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2008) में बताया कि निर्धारिती की परियोजना में आवासीय इकाईयों तथा दुकानें अन्तर्विष्ट थे। निर्धारिती के मामले में, दुकानों पर धारा 80 आईबी (10) के अन्तर्गत छूट के लिए आवास परियोजना के भाग के रूप में विचार किया गया है। यह भी बताया गया था कि धारा 80 आईबी के प्रावधानों में 1 अप्रैल 2005 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के द्वारा संशोधन किया गया है। अतः कटौती सही अनुमत की गई थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीएटी मुम्बई "सी" बैंच ने मै. लौकिक डिवेलपर्स बनाम डीसीआईटी 3, थाणे (105 आईटीडी 657) के मामले में देखा है कि दुकानों अथवा वाणिज्यिक स्थान का निर्माण, अधिनियम की धारा 80 आईबी (10) के प्रावधानों के आवेदन के उद्देश्य से एक आवास परियोजना नहीं माना जा सकता। ट्रिब्युनल ने अपने उद्देश्य में कहा, " हम निर्धारिती के लिए विद्धान वकील का तर्क स्वीकार नहीं कर सकते कि चूंकि मामला पूर्व-संशोधन अवधि से संबंधित है, चाहे दुकानें तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाएं, निर्धारिती की आवास परियोजना में शामिल हो, तो भी निर्धारिती को धारा 80 आईबी (10) के अन्तर्गत कटौती उपलब्ध होगी। यदि निर्धारिती का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो देश में आवास क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए सांविधि पुस्तक में धारा 80 आईबी (10) का प्रावधान शुरू करने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि निर्धारिती की आवास परियोजना में दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं को दिए गए कुल निर्मित क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होगी"।

2.9.7 आन्ध्र प्रदेश, सीआईटी III, हैदराबाद प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी **मै. साईनाथ एस्टेट्स (प्रा.) लि**. का निर्धारण धारा 80 आईबी (10) के अन्तर्गत 6.71 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करते हुए संवीक्षा के पश्चात् दिसम्बर 2006 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती कम्पनी ने "समापन प्रमाण पत्र"

प्रस्तुत नहीं किया था। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप आय की कम गणना हुई जिसमें ब्याज सहित 3.76 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। विभाग ने उत्तर दिया कि आपत्ति पर विचार किया जाएगा।

2.9.8 महाराष्ट्र, सीआईटी 3, पुणे प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी, **मै. रनवाल इरेक्टर्स प्रा. लि.** का निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 2.01 करोड़ रूपए तथा 2.19 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः मार्च 2006 तथा दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना के पास दुकानें/वाणिज्यिक स्थापनाएं थी। चूंकि इन इकाईयों के संबंध में कटौती का लाभ केवल निर्धारण वर्ष 2005-06 से ही लागू था, अप्रैल 2005 से पूर्व निर्मित ऐसी इकाईयों के लिए कटौती का दावा करना अनियमित था तथा उसे अननुमत किया जाना अपेक्षित था। 4.20 करोड़ रूपए की कटौती के गलत दावे के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 2.06 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव हुआ।

इस प्रकार, उन मामलों में कटौतियाँ अनुमत की गई हैं जहां निर्धारिती उनके पात्र नहीं थे।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि आवास क्षेत्र के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए निर्धारित शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित तन्त्र विकसित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में कटौती अनुमत करने से पूर्व उसका पालन किया जाना चाहिए।

विविध मामले

2.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना

2.10.1 धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती तभी दी जा सकती है जब उपक्रम के लेखे लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित हों, तथा उस लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा रिपोर्ट आय की विवरणी (फार्म सं. 10 सीसीबी) के साथ प्रस्तुत की गई हो।

2.10.2 लेखापरीक्षा ने ऐसे 237 मामले देखे जिनमें धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई थी हालांकि अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट आयकर विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका आन्ध्र प्रदेश, असम,बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 81.11 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव हुआ। इनमें से, तीन मामलों की चर्चा नीचे की गई है, तथा नौ मामले **परिशिष्ट 14** में दिए गए हैं।

2.10.3 उत्तर प्रदेश, सीआईटी, केन्द्रीय कानपुर प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी, **मै. कोठारी प्रोडक्ट्स लि**. का निर्धारण क्रमशः जून 2004

तथा मई 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने दो निर्धारण वर्षों में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत क्रमशः 56.01 करोड़ रूपए तथा 17.70 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत की थी। तथापि, यह देखा गया था कि निर्धारिती ने दो निर्धारण वर्षों में आयकर विवरणी के साथ फार्म सं. 10 सीसीबी प्रस्तुत नहीं किया था अतः निर्धारिती धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का पात्र नहीं था। इसमें ब्याज सहित 28.44 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

2.10.4 तमिलनाडु, सीआईटी VI, चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक फर्म **मै. आर.के. इण्डस्ट्रीज़** का निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 6.92 करोड़ रू. तथा 6.99 करोड़ रू. की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः जनवरी 2006 तथा दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने फार्म सं. 10 सीसीबी में अपेक्षित अनिवार्य लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र दायर नहीं किया था। अतः निर्धारिती धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने का पात्र नहीं था। इसमें ब्याज सहित 6.82 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

2.10.5 महाराष्ट्र, सीआटी 5 पुणे प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक कम्पनी **मै. डेमलर क्रिसलर प्रा.लि.** का निर्धारण, दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने आय की विवरणी में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत किसी कटौती का दावा नहीं किया था। आय की विवरणी के साथ दायर की गई टिप्पणियों में निर्धारिती ने बताया था कि वह धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का पात्र था, पर चूंकि पिछले वर्ष के दौरान कोई करयोग्य आय नहीं थी, अतः धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती "शून्य" थी। निर्धारिती ने यह भी बताया कि "यदि निर्धारण कार्रवाई के दौरान, निर्धारिती को विश्वास है कि उसकी आय सकारात्मक होगी, तो निर्धारिती धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा कर सकता है"। संवीक्षा निर्धारण के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने 8.53 करोड़ रू. की कटौती अनुमत की जो कि बाद में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधन के द्वारा घटा कर 8.15 करोड़ रू. कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चूंकि निर्धारिती ने धारा 143 (3) के अन्तर्गत निर्धारण के समापन से पूर्व फार्म सं. 10 सीसीबी में अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत अनुमत की गई 8.15 करोड़ रूपए की कटौती अनियमित थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 3.89 करोड़ रू. के कर प्रभाव को शामिल करते हुए 8.15 करोड़ रू. की कटौती की गलत अनुमति प्रदान की गई।

2.11 अग्रेनीत हानियों के समंजन के बिना अनुमत कटौती

2.11.1 अधिनियम के अध्याय VI **ए** के प्रावधान के अनुसार, कटौती की गणना करते समय, निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न आय की राशि की गणना, पिछले वर्षों की अग्रेनीत हानियों तथा अनवशोषित मूल्यह्रास को लेखे में लेने के पश्चात् ही की जानी चाहिए।

2.11.2 लेखापरीक्षा ने ऐसे 22 मामले देखे जिनमें कटौती की गणना करते समय निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न आय की राशि की गणना पिछले वर्षों की अग्रेनीत हानियों तथा अनवशोषित मूल्यह्रास को हिसाब में लिए बिना ही की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका असम, चण्डीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में राजस्व प्रभाव 3.57 करोड़ रूपए था। इनमें से, एक मामले पर चर्चा नीचे की गई है।

2.11.3 असम सीआईटी II, गुवाहाटी प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक कम्पनी, **मै. विनय सीमेंट्स लि.** का निर्धारण अक्तूबर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया और उसे उपलब्ध आय की सीमा तक 22.37 करोड़ रूपए के अनवशोषित मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन से पूर्व 4.98 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 4.98 करोड़ रूपए की कटौती अधिक अनुमत की गई जिसका परिणामी कर प्रभाव (संभावित) 1.49 करोड़ रूपए था।

2.12 पात्र कारबार से व्युत्पन्न आय की गणना में त्रुटि

2.12.1 जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न लाभ एवं अभिलाभ शामिल हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय उस प्रतिशतता के समान राशि के लाभ एवं अभिलाभ से तथा विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्षों की संख्या के लिए एक कटौती अनुमत की जाएगी।

2.12.2 लेखापरीक्षा ने 98 मामलों में देखा कि अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न आय की गणना में त्रुटि थी। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 21.86 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव था। इनमें से दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

2.12.3 जम्मू-कश्मीर, सीआईटी जे एण्ड के प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए एक फर्म, **मै. सन फार्मस्यूटिकल इण्डस्ट्रीज़** का निर्धारण, दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए

ब्याज आय पर कटौती अनुमत नहीं की कि ब्याज आय औद्योगिक क्रियाकलाप से व्युत्पन्न हुई नहीं कही जा सकती और इसलिए वह अधिनियम की धारा 80 आईबी (4) के अन्तर्गत कटौती हेतु अर्हक नहीं है। तद्नुसार, ब्याज आय को आरोप्य लाभ की सीमा तक निर्धारिती का दावा अननुमत कर दिया गया था तथा दायर की गई आय में जोड़ दिया गया था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निवल कर-योग्य आय की गणना करते समय, 8.39 करोड़ रू. की ब्याज आय निर्धारिती की दाखिल की गई आय में नहीं जोड़ी गई थी। इसके परिणामस्वरूप 8.39 करोड़ रू. की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसका 4.08 करोड़ रूपए (ब्याज सहित) का तद्नुरूपी कर प्रभाव हुआ तथा अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के अन्तर्गत 3.07 करोड़ रूपए की शास्ति लगी।

2.12.4 तमिलनाडु, सीआईटी पांडिचेरी प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक फर्म, **मै. विनब्रोस एण्ड कम्पनी** का निर्धारण अगस्त 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कारबार आय की गणना करते समय, कुल आय, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अननुमत करने के पश्चात् 3.11 करोड़ रू. के बजाए 31.16 लाख रू. ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रू. की सीमा तक आय की कम गणना हुई जिसमें ब्याज सहित 1.69 करोड़ रू. का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली तथा आयकर अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारण संशोधित किया (अप्रैल 2008)।

2.13 कटौती की गलत दरें अपनाना

2.13.1 जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ एवं अभिलाभ शामिल है, वहां निर्धारिती की कुल आय की गणना में, धारा 80 आईबी के प्रावधानों के अध्यधीन तथा उसके अनुसार, उस प्रतिशतता के समान राशि के लाभ एवं अभिलाभ से तथा निर्दिष्ट संख्या में निर्धारण वर्षों के लिए एक कटौती अनुमत की जाएगी।

2.13.2 लेखापरीक्षा ने 23 मामलों में देखा कि अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की सही दरें अपनाने में त्रुटि थी। इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 104.71 करोड़ रू. के राजस्व प्रभाव की आय का अवनिर्धारण हुआ। इनमें से, दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

2.13.3 धारा 80 आईबी(4) के अनुसार, आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्य में औद्योगिक उपक्रम के मामले में कटौती की राशि, प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष से शुरू करते हुए 5 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ एवं अभिलाभ 100 प्रतिशत तथा उसके पश्चात् 25 प्रतिशत (अथवा 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कम्पनी है) होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 80 आईबी (14) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष का

अर्थ पिछले वर्ष से संगत निर्धारण वर्ष से है जिसमें औद्योगिक उपक्रम मदों अथवा वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन शुरू करता है।

2.13.3.1 तमिलनाडु, सीआइटी III, चेन्नई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी, **मै. स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज़(इण्डिया) लि.** का निर्धारण, क्रमशः फरवरी 2005, मार्च 2006 तथा दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राखोली इकाई[11], सिलवासा के फार्म सं. 10 सीसीबी के अनुसार, उपक्रम द्वारा प्रचालन शुरू करने की तारीख 18 मार्च 1998 थी तथा प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष 1998-99 था। अतः धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 100 प्रतिशत पर कटौती का दावा करने के लिए पांचवां वर्ष निर्धारण वर्ष 2002-03 है। निर्धारण वर्ष 2003-04 से, इकाई केवल 30 प्रतिशत पर कटौती की पात्र थी। तथापि, निर्धारिती कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान इस इकाई के लिए 100 प्रतिशत पर कटौती का दावा किया गया जोकि गलत था। उसी प्रकार, चिंचपाड़ा इकाई[11क] के संबंध में फार्म सं. 10 सीसीबी के अनुसार प्रचालन शुरू करने की तारीख 7 जून 1996 थी तथा प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष 1997-98 था। अतः 100 प्रतिशत कटौती लेने के लिए निर्धारण वर्ष 2001-02 पांचवां तथा अन्तिम वर्ष होगा तथा उसके पश्चात् निर्धारिती को केवल 30 प्रतिशत पर कटौती लेनी थी। तथापि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 30 प्रतिशत के बजाए 100 प्रतिशत पर गलत कटौती का दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप 527.23 करोड़ रूपए की कटौती का अधिक दावा किया गया था जिसमें ब्याज सहित 100.57 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जून 2008) तथा उपचारी कार्रवाई करने के लिए सहमत हो गया।

2.13.4 धारा 80 आईबी (3) के अनुसार, कटौती की कर राशि प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष से शुरू करते हुए दस लगातार वर्षों की अवधि के लिए लाभ अथवा अभिलाभ का 30 प्रतिशत (जहां निर्धारिती एक कम्पनी है) होगी।

2.13.4.1 पश्चिम बंगाल, सीआईटी केन्द्रीय II, कोलकाता प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी **मै. बीएमडब्ल्यू इण्डस्ट्रीज** का निर्धारण मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने तीस प्रतिशत के बजाए सौ प्रतिशत कटौती का दावा किया जिसे निर्धारण में अनुमत कर दिया गया था। इस प्रकार, त्रुटि के परिणामस्वरूप 4.29 करोड़ रूपए की कटौती अधिक अनुमत की गई जिसके कारण समान राशि का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 2.45 करोड़ रूपए का अवप्रभार अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर में विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जून 2008) तथा बताया कि धारा 147 के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाई की जा रही थी।

[11] दादरा तथा नागर हवेली, एक औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए संघ शासित क्षेत्र, में स्थित।

[11 क] दादरा तथा नागर हवेली, एक औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, संघ शासित क्षेत्र में स्थित।

2.14 पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए

2.14.1 आयकर नियमावली के नियम 18 बीबीबी के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी (13) में यह प्रावधान है कि धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती के उपक्रम अथवा उद्यम द्वारा एक पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा उपक्रम अथवा उद्यम के लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र द्वारा समर्थित होगी जैसे कि उपक्रम अथवा उद्यम एक पृथक सत्त्व हो।

2.14.2 लेखापरीक्षा ने 26 मामलों में देखा कि निर्धारितियों ने कटौती हेतु पात्र प्रत्येक इकाई के संबंध में पृथक लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जैसे कि वह पृथक सत्त्व हो। इन लेखाओं के अभाव में लेखापरीक्षा आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, केरल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में इन मामलों में दावित कटौती की शुद्धता का सत्यापन नहीं कर सका। इनमें से, दो मामले नीचे दिए गए हैं।

2.14.3 दिल्ली, सीआईटी III प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए एक कम्पनी **मै. सुधीर जेनसेट लिमिटेड** का निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 12.57 करोड़ रूपए, 16.49 करोड़ रूपए तथा 19.11 करोड़ रूपए की कटौती करने के पश्चात् क्रमशः मार्च 2006, दिसम्बर 2006 तथा दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती की छः इकाईयां हैं, जिनमें से, चार इकाईयां धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की पात्र थी। निर्धारिती से कटौती हेतु पात्र प्रत्येक इकाई के संबंध मे पृथक लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे जैसे कि वह पृथक सत्त्व हो। तथापि, निर्धारिती ने पृथक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। पृथक लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन-पत्र के अभाव में, धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 12.57 करोड़ रूपए, 16.49 करोड़ रूपए तथा 19.11 करोड़ रूपए की राशि की कटौती की अनुमति की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

2.14.4 विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2008) में बताया कि संगत धारा में पृथक लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन-पत्र के अनुरक्षण तथा प्रेषण का प्रावधान नहीं था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के नियम 18 बीबीबी के साथ पठित धारा 80 आईए (7) में प्रावधान है कि जब तक कटौती हेतु पात्र प्रत्येक इकाई के संबंध में आय की विवरणी के साथ पृथक लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाए, जैसे कि यह एक पृथक सत्त्व हो, तब तक कटौती ग्राह्य नहीं होगी।

2.14.5 केरल, सीआईटी, कोट्टयम प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए एक कम्पनी, **मै. मलयाला मनोरमा क.लि.** का निर्धारण धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 1.98 करोड़ रूपए तथा 2.19 करोड़ रूपए की कटौती अनुमत करने के पश्चात् क्रमशः

फरवरी 2006 तथा दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती को कटौती हेतु पात्र प्रत्येक इकाई के संबंध में पृथक लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था जैसे कि वह एक पृथक सत्त्व हो। तथापि, निर्धारिती ने पृथक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। इस प्रकार, पृथक लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र के अभाव में इन निर्धारण वर्षों में धारा 80 आईबी के अन्तर्गत 1.98 करोड़ रूपए तथा 2.19 करोड़ रूपए की राशि की कटौती की अनुमति की सत्यता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार कटौतियां उन मामलों में अनुमत की गई हैं जहां (i) निर्धारितियों ने फार्म सं. 10 सीसीबी में अनिवार्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दायर नहीं किए थे, (ii) आय की गणना गलत की गयी थी, (iii) पृथक लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे, (iv) अग्रेषित हानियों का कटौती से पूर्व समंजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां कटौती अनुमत करते समय गलत दरें अपनाई गई थी।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती केवल उन्हीं मामलों में अनुमत की जाएगी जहां निर्धारितियों द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा उसे अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती अनुमत करने से पूर्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना नियंत्रण तंत्र मज़बूत करना चाहिए।

2.15 संवीक्षा प्रतिमानों का अनुसरण नहीं हुआ

2.15.1 बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से जारी संवीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार, वे मामले जिनमें अध्याय VI ए की कटौती निर्दिष्ट सीमा[12] से अधिक हो, उनका वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए संवीक्षा हेतु चयन अनिवार्य है।

2.15.2 लेखापरीक्षा ने ऐसे 91 मामले देखे जिनका निर्धारण संवीक्षा तरीके से किया जाना था, परन्तु उनका संक्षिप्त तरीके से संसाधन किया गया था। संवीक्षा निर्धारण के अभाव में, लेखापरीक्षा, ऐसे मामलों में अनुमत कटौती की सत्यता का सत्यापन करने में सक्षम नहीं था। असम, दिल्ली, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में देखे गए ऐसे 13 मामलों का विवरण **परिशिष्ट 15** में दिया गया है।

[12] दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, पूणे, हैदराबाद, बंगलौर तथा अहमदाबाद में 25 लाख रूपए अथवा अधिक तथा अन्य स्थानों में 10 लाख रूपए अथवा अधिक।

2.16 फार्म सं. 10 सीसीबी का फार्मेट

2.16.1 फार्म सं. 10 सीसीबी का कॉलम 18 निम्न प्रकार से है:

18. कोल्ड स्टोरेज के प्रचालन की मदों अथवा वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण में कार्यरत औद्योगिक उपक्रम

(ए) क्या औद्योगिक उपक्रम ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी मद अथवा वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करता है।
(कृपया मद अथवा वस्तु का उल्लेख करें) ☐ हां ☐ नहीं

(बी) यदि हां, तो क्या निर्माण प्रक्रिया विद्युत का उपयोग करती है ☐ हां ☐ नहीं

2.16.2 उपर्युक्त कॉलम 18 (बी) का अर्थ है कि क्या यह प्रश्न कि क्या निर्माण प्रक्रिया विद्युत का उपयोग करती है केवल उसी औद्योगिक उपक्रम पर लागू है जो ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों अथवा वस्तुओं का निर्माण करता है। परिणामतः कई कर-लेखापरीक्षक, कॉलम 18(बी) में "लागू नहीं" का उल्लेख कर रहे हैं जबकि धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त (उपक्रम विद्युत की सहायता से की जा रही निर्माण प्रक्रिया में 10 अथवा अधिक कर्मी नियुक्त करता है, अथवा विद्युत की सहायता के बिना की जा रही निर्माण पक्रिया में बिना 20 अथवा अधिक कर्मी नियुक्त करता है) है, जहां औद्योगिक उपक्रम, ग्यारहवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद अथवा वस्तु के अतिरिक्त किसी मद अथवा वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करते हैं।

मत्रांलय को इस विषय पर विचार करना चाहिए, तथा इसे स्पष्ट करने के लिए फार्म सं.10 सीसीबी में समुचित परिवर्तन करने चाहिएं।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों को कटौती अनुमत करने के लिए मूल शर्तों जैसे (i) यह एक नया उपक्रम होना चाहिए जो पहले से ही विद्यमान किसी कारबार के विखण्डन अथवा पुनर्निर्माण द्वारा निर्मित न हो, (ii) वह मदों का निर्माण अथवा उत्पादन करता हो, (iii) निर्माण अथवा उत्पादन एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर शुरू किया जाना चाहिए, (iv) उसे न्यूनतम निर्दिष्ट संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने चाहिएं तथा (v) अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट का

प्रस्तुतिकरण, का उल्लंघन किया गया था। शोधनशालाओं के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि विपणन मार्जिन के संबंध में कटौती अनुमत करने में विभाग द्वारा असंगत मत लिया गया था। आवास क्षेत्र में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कटौतियां अनुमत की गई थी, यद्यपि कटौती का लाभ उठाने के लिए अधिनियम में निर्धारित विभिन्न शर्तों का निर्धारितियों द्वारा अनुसरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी देखे जिनमें कटौती की गलत दरें अपनाई गई थी। मंत्रालय, अधिनियम की विभिन्न मूल शर्तों के पालन के स्तर को संशोधित करने के लिए तरीकों पर विचार करना चाहिए तथा धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कर-छूट अनुमत करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधानों का अधिक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

सिफारिशों का सार

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कटौती अनुमत करने से पूर्व औद्योगिक उपक्रम की स्थिति का पता लगाने के लिए गहराई से विश्लेषण कर लिया गया है।

मंत्रालय को आईओसीएल तथा एचपीसीएल के मामले में विपणन मार्जिन पर कटौती अनुमत/अननुमत करने के संबंध में विभाग द्वारा लिए गए विभिन्न स्टैण्डों का समाधान करना चाहिए, और अपील के स्तर को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहिए। विकल्पतः अधिनियम के संगत प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में न्यायिक उद्घोषणाएं ऐसे सभी मामलों में लागू की गई हैं।

मंत्रालय को अनुदेश जारी करने पर भी विचार करना चाहिए ताकि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की पात्रता के निर्धारण तथा धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की प्रयोज्यता के लिए समयाविधि के निर्धारण में सतर्क रहें।

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चूंकि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कर्मचारियों की संख्या तथा विनिर्माण क्रियाकलापों में विद्युत के उपयोग के संबंध में सूचना दे दी गई है, उस सूचना का धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौतियां अनुमत करने से पूर्व निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग किया गया है तथा निर्धारिती के लेखाओं से सत्यापन किया गया है।

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास क्षेत्र के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए निर्धारित शर्तों का इस संबंध में कटौती अनुमत करने से पूर्व पालन किया गया है, एक तन्त्र विकसित करना चाहिए।

मंत्रालय को इस सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती केवल उन्हीं मामलों में ही अनुमत की जाती है जिनमें निर्धारितियों द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

मंत्रालय को यह अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौतियां अनुमत करने से पूर्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना नियंत्रण तन्त्र मज़बूत करना चाहिए।

मंत्रालय को फार्म सं. 10 सीसीबी में समुचित परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए ताकि उसे सुस्पष्ट बनाया जा सके।

एग्ज़िट कान्फ्रेंस में, बोर्ड ने लेखापरीक्षा सिफारिशें स्वीकार की तथा समीक्षा प्रतिवेदन में बताए गए मामलों का पता लगाने के लिए सहमति प्रदान की।